

**Mr. Chairman:** The question is:

Page 1,—

after line 16, add:

“Provided further that in cases where the Central Government recognises any examinations and training without India, the Central Government shall have power to direct the Council to enter in its Register as members such persons only, possessing such recognised qualifications, and for such limited periods, as may be specified by the Central Government:

Provided further that such further conditions as may be imposed by the Central Government shall not oust the jurisdiction of the Council over such specified persons in disciplinary matters”.

*The motion was negatived.*

**Mr. Chairman:** The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 2 was added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

**Shri M. C. Shah:** I beg to move:

“That the Bill be passed.”

**Mr. Chairman:** The question is:

“That the Bill be passed.”

*The motion was adopted.*

MOTIONS RE: DISPLACED  
PERSONS COMPENSATION  
AND REHABILITATION  
RULES

**Mr. Chairman:** Before the motions regarding the Displaced Persons Compensation and Rehabilitation Rules are moved, I am just to invite the attention of the Members to the

fact that five hours have been fixed for general discussion. Hon. Members who wish to move any motions will kindly hand over the numbers of their motions to the Secretary at the Table within 15 minutes. The fifteen minutes will count from now.

**Shrimati Sucheta Kripalani** (New Delhi): We do not know which of the motions are to be moved while the Minister delivers his speech.

**Mr. Chairman:** The Minister has also to move his motion in the same way as the Members. There is no difference here.

**Sardar Hukam Singh** (Kapurthala—Bhatinda): As we have general discussion for five hours, the discussion may extend to tomorrow. Therefore, would it not be permissible to hand over our amendments by tomorrow or, say, by this evening?

**Mr. Chairman:** The practice is this. Even if the amendments are given today, they will come tomorrow in due course. If the amendments are valid today, they will be in order tomorrow also. Many hon. Members have already given notices of their amendments. Others who have not done so will have only to find out what amendments they would like to table, so that they also can send in their amendments now. Of course, those amendments for which notice is given today shall not be out of order if they are not taken up today, because there will be time tomorrow also.

**Lala Achint Ram** (Hissar): What is the harm if those amendments which are going to be discussed the day after tomorrow are discussed tomorrow?

**Mr. Chairman:** That is a hypothetical question. Some amendments come in earlier and the discussion goes on. Some amendments come in later, but then the discussion will go on till the time allotted for it is over.

**Lala Achint Ram:** How many amendments can be taken up the day after?

*Compensation and  
Rehabilitation Rules*

**Mr. Chairman:** It is very difficult to say. At the same time, the hon. Member will realise that if a Member wants to give any notice of amendment, then, unless the whole House knows what the amendment is, the discussion will not be complete and full.

**Lala Achint Ram:** The amendments may be circulated to Members tomorrow night and they will come up the day after tomorrow.

**Mr. Chairman:** The point is this. We are now going to have the general discussion and tomorrow it will continue with all the amendments that may be moved. I propose to announce today all the amendments that are going to be moved and any Member who wants to put in new amendments will take a chance after the general discussion, when the amendments are taken up. Practically, the entire set of amendments is taken up and only such amendments as are pressed will be put to the vote of the House. So, the amendments will be discussed tomorrow and the day after, but unless a Member gives notice of the amendments at least by tomorrow, it will be difficult for all the Members to realise what the new amendments are, or how they will be discussed. In order to have full discussion, it is better that notices of amendments are given as soon as possible, at any rate before we start the discussion on the amendments themselves.

**Shri Nand Lal Sharma (Sikar):** Do I understand that the amendments are to be given after the general discussion is over?

**Mr. Chairman:** Definitely not. Within 15 minutes the numbers of the amendments should be given to the Secretary at the Table. Supposing a Member has given a new amendment today, then it will be in order, according to the rules, to move that amendment tomorrow. I am not ruling that out. But those Members who have already given notice of their amendments can very well indicate

now what amendments they propose to move, so that the hon. Minister may know what he has to meet.

**Shri N. C. Chatterjee (Hooghly):** The only point I wish to submit is this. After the Minister's speech, we shall know exactly which amendments we should press and on which amendments we should not take up the time of the House by dilating upon them. If you give us 15 minutes or half an hour after the Minister's speech, we shall be in a better position to know which amendments we should press. Otherwise, if you say that we should give them within 15 minutes, naturally all the amendments will have to be moved.

**Mr. Chairman:** I for one do not propose to ask the hon. Minister to make a speech now and take away some time. I have already received a very long list and many people want to be accommodated. Unless the hon. Minister so desires, I do not propose to call upon him to make a speech at the first stage.

**Shri N. C. Chatterjee:** I thought the Minister's speech would clarify the position better. If we know exactly whether the Minister is sticking to the position as it is or whether he is going to make any gesture in response to public demand, we would be in a better position to decide about our amendments; that might cut short our speeches.

**Mr. Chairman:** There are two ways of thinking in this matter. It can also be argued that the hon. Minister may show some responsiveness after the criticism is over; he may be able to make up his mind as to which amendments he should accept and which he should reject. If at that stage he does not respond to the speeches of hon. Members, they will have a right to complain. I am entirely in the hands of the House. If the hon. Minister wants to speak or if hon. Members request him to speak, I have no objection. But at the same time

I do not want to force him to make a speech at this stage.

**Shri N. B. Chowdhury (Ghotal):** If the hon. Minister speaks after some Members have spoken it would be better.

**Mr. Chairman:** I think if the Minister replies to the general discussion after the Members have spoken, that will be the proper time when he can indicate whether he is going to accept any of the principles which form the subject-matter of the speeches of the hon. Members. This may be utilised by the Members also in this way. After the hon. Minister has indicated what he is going to accept, these amendments may not be moved. But at this stage, it will be better if hon. Members impress the Minister with their speeches.

**Shri N. C. Chatterjee:** If he is impressive.

**Mr. Chairman:** Let us hope he is very impressive.

**Lala Achint Ram:** What about those who have not given their names?

**Mr. Chairman:** I have indicated so many times that those Members who have not given their names will not be debarred. They are as good prospective speakers as those who have given their names. There are a large number of speakers and I want to know the sense of the House as to the limit of time that any Member can take. Should we limit the speeches from 10 minutes to 15 minutes or from 15 minutes to 20 minutes? I will fix the time just as hon. Members choose. The total time for the general discussion is 5 hours and if we give 20 minutes to each speaker, only 15 Members can be accommodated.

**Shri G. H. Deshpande (Nasik Central):** As usual, 15 minutes can be given to every Member, so that a large number of Members can take part in the discussion.

**Mr. Chairman:** I think it is generally agreed that 15 minutes may be

given to each speaker.

**Shrimati Sucheta Kripalani:** I hope the general discussion will go on till tomorrow.

**Mr. Chairman:** Certainly. We have allotted 5 hours for it and we started only about 10 minutes back.

**Shri Barman (North Bengal—Reserved—Sch. Castes):** The rules are there but we do not know the exact position of the refugees—the number of houses allotted, the amount of compensation given and so on. Simply the printed rules are there, but we do not know any of the facts as to how the Department is functioning. Therefore, is it not better that the Minister gives us some facts, so that we can speak on them?

**Mr. Chairman:** In regard to all the discussions in this House, it happens that all the Members do not know the full details of the working of the Departments. Therefore, it is for the hon. Minister to circulate such information as he chooses, so that Members may be able to take an intelligent interest in what is taking place in the House. The demand is quite fair, but at the same time, it is the duty of the hon. Members themselves to put questions and find out information, if none is circulated. I should think it would be better if, before the hon. Minister gives his reply, he acquaints the Members with the broad facts of the case giving certain details. I would expect by tomorrow the hon. Minister, if he so likes, may furnish all the information that he has in his possession as regards details etc., so that Members may be able to appreciate the entire tenor of the rules, at the time the discussion of the rules takes place.

**Shri Gidwani (Thana):** Shri Mehr Chand Khanna, while announcing the scheme of final compensation, has issued a public statement in which he has said that in July, 1949, the late Shri Gopaldaswami Ayyangar gave an assurance on behalf of the Government of India that displaced persons

[Shri Gidwani]

would be given compensation for the properties left behind by them in West Pakistan. This assurance has been reiterated by Government on several occasions subsequently. I shall place certain facts before the House as to what Shri Gopalswami Ayyangar actually said. He had said in that conference that "compensation will be paid partly in cash, partly in kind and partly in some kind of bonds." I want to emphasise the point of bonds. Another conference was held in 1950. In that conference only three non-officials were present and I was one of them, Shri Mehr Chand Khanna was then Adviser to the Ministry of Rehabilitation. When the question of compensation was raised in that conference, Shri Gopalswami Ayyangar said, "we shall give you compensation..."—he devised a formula X, Y, Z about the quantum of compensation; and he said..." X will be the value of the property left by Muslims in India; Y will be the difference between the values of properties left by Muslims in India and Hindus and Sikhs in Pakistan; and Z will be the Government contribution." We said, "X is quite all right. About Y, we need not expect a pie from Pakistan. About Z, supposing you give us Rs. 2 lakhs, or Rs. 5 lakhs or even Rs. 5 crores, will that be called Government contribution?" Then he elaborated that point and said, "it would be a substantial amount which shall not dissatisfy the displaced persons." These are his very words and I think they are part of the minutes which are with the Government. I may add further that at that time it was practically understood that the Muslim evacuee property left in India would bring about Rs. 250 crores. That was the amount which was to be realised from that item. Then there is the substantial contribution from the Government of India which shall not dissatisfy the displaced persons. These two points are to be remembered when we are considering this compensation scheme. You know the total amount supposed to be in

the evacuee pool will be about Rs. 185 crores. Out of that, Rs. 35 crores are in the shape of loans advanced to displaced persons—either State loans or R.F.A. loans—and the remaining Rs. 150 crores are in the shape of property, whether Government-built property or evacuee property. We are being paid compensation not on the basis, I would say, on which we were expecting that we will be paid. I do not want to repeat and waste the time of the House. A sum of Rs. 35 crores advanced as loan is to be adjusted. I would go further and say this. When this Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act was passed, the Joint Committee presided over by our Chairman Pandit Thakur Das Bhargava recommended like this:

3 P.M.

"The Committee are not suggesting any specific amendment of this clause as the clause as worded is capable of yielding results which the Committee desire to see achieved. Various Associations and bodies made representations before the Committee, but, however differing in other matters, they all were unanimous in their demand that the compensation pool be considerably enhanced. All claimed hundred per cent. compensation and suggested that the same be secured from Pakistan Government or evacuee property, or by contribution from Government. Anyhow most of them insistently suggested that at least the sum of the present estimate of Rs. 185 crores should be underwritten by the Government to start with. They expressed their doubts that this estimate about the value of the evacuee property and receipts from Government investments would ever come up to this sum. They further suggested that the urban refugees should not be discriminated against by their not being paid the amount of 66 per



cent. of their claims like the rural displaced persons.

I may inform the House that there are buildings and agricultural land. The agriculturists in the Punjab have, in totality, been given 60 per cent. of their claims left in Pakistan. This is what this sentence means. The urban claimants who have left immovable property in Pakistan should be paid up to that percentage.

Then, the report says:

"The Committee was, however given to know that this figure of 66 per cent. was not accurate. Another suggestion was that the amount be raised at least to 50 per cent. of the amount of urban property claims which were roughly estimated to be Rs. 450 crores if the compensation was to be worth the name. It was further pointed out that the compensation was being paid after 7 years and some claimants would get it after 10 years and that the immovable properties were only assessed whereas the movable property left in Pakistan by displaced persons was several times in value for which no compensation was being paid."

I would also like to bring to the notice of the House that this claim is only for immovable property. Crores of rupees worth of movable properties have been left behind. For that, no claims were entertained, nor were claims invited. Nor is it claimed although our Association is demanding it. Further:

"The Committee have given anxious thought to these suggestions and representations and while appreciating that the Government has remarkable achievement to its credit in the matter of relief and rehabilitation of such a large number of displaced persons in various ways, the details of which are enumerated in the pamphlet on Interim compensation issued by the Ministry of Rehabilitation, the Committee feel that the suggestion for in-

creasing the amount of compensation to 50 per cent. of the urban verified claims which in their view is neither unreasonable nor excessive, deserves the serious attention of the Government; and the Committee strongly and unhesitatingly recommend that Government should make further substantial contribution to the compensation pool in the manner they think best."

On this Committee, there were 51 Members of all parties, majority of whom were congressmen. Two Ministers, Shri A. P. Jain, the former Minister of Rehabilitation and Shri J. K. Bhonsle the Deputy Minister, were also Members of that Committee which has made this recommendation. Unless this recommendation is accepted and more money is provided, in my opinion, the scheme will not be successful. Already so many years have passed. We are now in the eighth year. If the scheme is to be worked on the present basis, with the present amount of money, on the basis of the present scheme, many of the claimants who have not received any benefits from the Government will have to wait for a number of years before they can get any compensation. This is one thing that I want to emphasise. The time at my disposal is short. Members should realise that if we want to give compensation and also by way of rehabilitation, the sooner we thought of it the better. I wish the hon. Shri C. D. Deshmukh were here. I would have appealed to him that we are spending so many crores, this is also nation-building in the sense that we are going to rehabilitate people, either Rs. 50 or 60 crores should be given as Government contribution to the pool or in any case that amount must be made available to the Minister to start with the scheme in full, or at least to carry on his scheme as speedily as possible. That is one aspect of the question.

The second point that I wish to take up is this. There are four kinds

[Shri Gidwani]

of properties. Three are housing properties, shops and industrial concerns: three in the sense housing properties, shops are industrial concerns in what are called urban areas, shops and houses in what are called rural areas, shops and houses to those who have been allotted agricultural land and not so much shops, but houses to those with agricultural land. Then, there are agricultural lands. These are the four categories of properties which the claimants possessed in Pakistan. As regards urban properties, a schedule has been laid down. Any urban property owner gets his claim according to the scale in urban property or where he has got agricultural land, he gets his full scale according to the schedule. But, in the case of the rural property owners, there are various distinctions. I wish the Minister had spoken. We would have known if there were any changes. Therefore, if the present rules apply in the case of rural property owners, a great injustice would be done. While in the case of urban property owners, they get the full value according to the scale, in the case of the rural property owner, in certain categories, if he does not go to C class colonies, if he does not want to shift himself to the rural areas, he will get half of his claim, not the claim, but the verified amount which is to be given to him as compensation. Supposing I belong to Karachi and in Karachi my house is valued at Rs. 10,000, my claim is Rs. 4,000. I get Rs. 4,000. Suppose I was in Malli or in another place which was an urban area and which has been declared to be a rural area, and my property is worth Rs. 10,000, my claim is Rs. 4,000, but, as I happen to be a ruralite, I get Rs. 2,000. That is one discrimination.

There is another discrimination also which is affecting equally large number of people. If I am an urbanite, if I have got urban property as well as agricultural property, I get my claim for urban property

according to the schedule and I get my for agricultural property. But, in the case of a ruralite, if he gets property in the rural areas, if he has claim to agricultural land for which he has been given less than four acres of land, if his rural housing property was worth Rs. 9,999, he gets zero. Not only that. He will only get compensation if the property is valued Rs. 10,000. even if he has five or 8 properties worth 8 multiplied by 9999,—it may go up to Rs. 80,000, he will not get anything for his rural house because one house is not worth Rs. 10,000. Similarly, if a person has been granted 4 acres or more and has rural house claim is Rs. 19,999, he gets zero. Even if he has 10 properties worth Rs. 2 lakhs, but not any one over Rs. 20,000, he still gets zero. This has worked a great hardship, as you can obviously see.

**Mr. Chairman:** May I remind the hon. Member that this aspect which calls discrimination is part of an Act which was passed by this House. This House empowered the Government to indicate the classes of properties in respect of which so far as rural areas are concerned, compensation could be paid. That Act being yet in force, if he spends some of his time over that aspect, I think he will not be utilising his time very well. Taking the Act as it is—the Act has not been repealed—it will be better for him to argue his case on the basis that the Act is there. That Act cannot be ignored. I will, therefore, request the hon. Member not to ignore that Act and therefore, I would request him to base his arguments on that Act. It is futile now to criticise that Act at this stage. Either the Act should be amended and there should be an amendment, or, if there is no amendment, the arguments should proceed on the basis of that Act. What is the use of criticising an Act which is in force, which is not sought to be amended by anybody?

**Sardar Hukam Singh:** But the Act authorised the Government to make

such revision and other things, not that they could provide that the.....

**Mr. Chairman:** The Act only empowered Government, as I indicated, to indicate the classes of property in respect of which compensation could be claimed.

**Sardar Hukam Singh:** Quite right.

**Mr. Chairman:** On the basis of that notification, the whole of the claims have been verified. The claims were made on that basis. Now it is three or four years since the claims were made and they were got verified by the officers etc. Now to criticise that Act will hardly bring any fruitful results. The notification, if faulty, may be contested.

**Shri Gidwani:** In certain cases the claims were actually verified

**Shri Nand Lal Sharma:** That only provided for the classification of property, but not for the limit to be paid or not to be paid, that is Rs. 10,000 or Rs. 20,000 that is laid down in the rules.

**Mr. Chairman:** Does it not constitute a class by itself? That constitutes a class of persons. Otherwise, what is the meaning of the word "class"? The Act, however, speaks of class of property.

**Sardar Hukam Singh:** As a class by itself it is not necessary for the Government to stipulate that this class shall be given half the value of the claim if they get property in such and such an area. It is not essential for them. They can also say that this class will be treated just as the other classes are being treated, because already in assessment of their claims all these things have been taken into consideration as the property was in the rural area, and therefore the value of the property, the value of the plot, the value of the structure over it had already been diminished and brought to a level where certainly it could get a fair compensation.

**Mr. Chairman:** I am not suggesting that so far as the housing question is concerned, it should not be brought in or should not be criticised.

All that I say is so far as that Act is concerned, it is yet in force. It empowered the Government to indicate the classes of property. It is useless to criticise that Act now since the Act is yet in force. All the other criticism the hon. Member, can make about class of persons etc. He may even criticise the Act. I am only indicating that the time is very limited. Already 15 minutes are over, but I have taken three or four minutes in suggesting this. Therefore I am not taking the time into consideration. Therefore, I suggest he may utilise his time better than in criticising the Act which cannot be amended now.

**Shri Gidwani:** Then there is a class of agriculturists who have been given land on lease and who are not allotted land in lieu of their property left in Pakistan. Even their claims for rural houses have been rejected. I will read out a letter which has been given to me by a Mamlatdar only today in which the Tehsildar admits that the land was given on patta basis, on lease basis, which he has written yesterday. It reads.

"This is to inform you with reference to your letter No. Nil dated 10th September that the land which has been settled upon you according to the Government V. P. order was a Government fallow land. No allotment has been made to you from the Evacuee property."

Non-evacuee land given for one year on lease or patta basis, even in that case the claims were rejected by the Claims Officer, and when they appealed against the decision, this is what the Claims Commissioner has written:

"This claim has been rejected by the learned Claims Officer, Shri.... on a misunderstanding. The claimant has not been allotted any agricultural land. He has simply been allotted land on a Patta for cultivation. He has not been allotted any agricultural

[Shri Gidwani]

land on quasi permanent basis... Grant of land on a Patta for cultivation does not debar claim for houses in rural area.

Revision is accepted and the order or rejection is set aside. I should have verified the claim myself, but the original claim file is not with me, therefore the file is sent to the Chief Claims Commissioner with the remarks that the original file be enclosed and sent to me or any other claims officer for verification."

(Sd.) Bhagat Ram Chaudhury,  
Claims Commissioner,  
Jullundur,  
Camp at Lucknow.

I took this case myself. There are about 80 people. I took them to the Chief Claims Commissioner, but he says the orders are in respect of land allotted in any form. Whether it is patta or on a quasi-permanent basis, a man to whom any land is allotted in any form is debarred from having any claim for verification.

Mr. Chairman: The words of the notification are not these. The words of the notification are: "allotment temporary or quasi-permanent." This is a mere lease. There will be no temporary allotment so far as mere lease is concerned.

Shri Gidwani: But I am telling you their claims are not yet verified. They were verified, but were subsequently rejected, and they were for rural houses.

Mr. Chairman: Were they taken in revision to higher authorities?

Shri Gidwani: Yes, they were taken to revision. But in revision he said that he had no claim papers with him. So he did not assess their claims, but subsequently their claims were rejected.

This is one class of people. There are other classes of people who were living in camps in the beginning. The camp population was growing. Gov-

ernment, with a view to provide work for them and also gainful occupation, removed them from those camps to certain areas and gave them agricultural land. That was called rural rehabilitation, and those people have been there for the last six, seven, eight years. Their claims for rural property were also rejected on the same ground, and it was stated that as they have been allotted land, their claims could not be verified. Some of them did not file their claims. Here I have got a copy of the order of the Government. This is the notification of the Rehabilitation Ministry published in the Gazette of India dated 15th September, 1950 which says:

"Any other immovable property in West Pakistan comprising of a building situated in an area other than an urban area:

Provided that where the person making the claim has been allotted any agricultural land in India.

(a) Where the agricultural land so allotted exceeds 4 acres the value of the building in respect of which the claim is made shall not, according to the present estimated cost of construction, be less than Rs. 20,000. Where the agricultural land is less than four acres, the cost of construction should not be less than Rs. 10,000."

These people were given to understand that they could not file their claims because they had been allotted land, and those who filed were rejected. These people do not have any capital, because they were not agriculturists in Pakistan. They were non-agriculturists. They were given land as rehabilitation benefit. Now they are being asked to pay the amount of the land and also return the taccavi loan and their claims have been rejected. So, this is a very anomalous position, and they do not know where they stand, and it would be a very hard job for the Govern-

**Compensation and  
Rehabilitation Rules**

ent to get money out of them cause they have no money. They have been given eight acres or so of arani land, in Alwar etc. They have been given the other land also, but their claims require to be re-considered, at least their claims for rural housing. If there is any scheme to rehabilitate them, that is a different matter, but their claims for rural houses should be re-verified and in the case of those who did not file their claims, their claims should be taken into consideration.

There is another discrimination. Even under the present rules it has been provided that if agricultural land is allotted to any person and if he does not accept the allotment, his claim is deemed to have been satisfied, while in the case of urban property, if a person is living in an allottable house but does not accept the allotment, it is not said that his claim is deemed to have been satisfied, but that it will be taken up after a certain period. The same rule should apply to the other case also. Why should we think that the rural people are people of no value. Is it because they have no voice, no influence? I do not know what it is. In the socialistic pattern of society which we claim to establish it is the rural people, the poorer people whose claims should deserve more consideration.

I have raised only two points—compensation and this. There is a third thing also. We must expedite payment of compensation, and for that, if necessary, we should overhaul the administration and see that not a single person who has any rightful claim is debarred from his claim on account of any technical grounds. Five thousand cases were rejected *ex-parte*—four thousand have been taken up. One thousand still remain to be verified on some technical grounds because the applicants did not attend on the day of hearing. If they are real claimants you must see that every one gets his due.

श्रीमती शिवराजवती नहड़ [(जिला लखनऊ-मध्य) : इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमारी सरकार ने शरणार्थियों को बसाने और उनकी आर्थिक दशा सुधारने के सिलसिले में जो कार्य किया है वह अत्यन्त ही प्रशंसनीय और महान् कार्य था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से तकरीबन ८० लाख व्यक्ति हमारे देश में आए। यह ८० लाख शरणार्थी जिस मुसीबतज्जदा हालत में इधर आए और जिस तरह से अपना सब कुछ बर्बाद करके आए उनको एक नया जीवन प्रदान करने का काम और उत्साह देने का काम एक ऐसा काम था जो कि बहुत ही दुष्कर व कठिन और महान् था और जिस योग्यता और जिस बुद्धिमानी से गवर्नमेंट ने इस काम को अपने विशाल कर्षों पर उठाया और जिस योग्यता से इसे निभाया उसकी प्रशंसा आज सारा संसार कर रहा है। यह इसी कठिन परिश्रम और बुद्धिमानी का फल है कि आज हम इस कठिन समस्या का बेड़ा एक साहिल के किनारे लगाते हुए दिखाई देते हैं।

श्री आज हम सब इस प्रश्न पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम शरणार्थियों को कितना और किस प्रकार से कम्पेन्सेशन दें, जो कि न्याययुक्त हो और जिससे सभी लोग सन्तुष्ट हों और सरकार भी अपनी इस महान् जिम्मेदारी से उन्मुख हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने डिस्लेस्टड पर्सन्स कम्पेन्सेशन एंड रीहैबिलिटेशन रुल्स, १९५५ का बड़े ध्यान से अध्ययन किया है। मुझे वे रुल्स बहुत उचित जंचे और न्याय पर आधारित प्रतीत हुए। यह बात सब को ज्ञात है कि इस विषय में नीति तथा नियमों पर विचार करने के लिए एक जायंट कमेटी बैठी थी, जिसमें दोनों ही सदस्यों के बड़े बड़े बुद्धिमान और चुने हुए योग्य सदस्य थे। उन्होंने आपस में काफ़ी विचार-विनिमय किया और

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

बहुत खान-बीन और सोच-विचार के बाद एक नीति और नियम निश्चित किए—कुछ बातें तय कीं। जिन बातों के ऊपर उनकी आपस में सहमति थी, उनमें अब फिर से सुधार करना और फिर से परिवर्तन करना मुझे कुछ उचित नहीं लगता। हमारी माननीय सदस्या सुभद्रा जी और श्री गिडवानी जी भी उस कमेटी में थे। सुभद्रा जी की अमैंडमेंट मैंने सबसे पहले देखी हैं। वह आज यहां आई नहीं हैं। गिडवानी जी और बहुत से दूसरे सदस्यों के नए नए सुझाव और अनेक प्रकार की अमैंडमेंट्स मैंने देखी हैं। ये लोग भी उस कमेटी में मौजूद थे। मैं समझती हूँ कि यह सभी सुझाव और अमैंडमेंट्स एक प्रकार की अधिकता और ज्यादाती की भावना पर आधारित हैं। और वे मूल एक्ट तथा निबन्धों में कोई विशेष इम्प्लूमेंट नहीं लाते हैं।

हमारी सुभद्रा बहिन जी का कहना है कि किसी को पचास हजार से ज्यादा कम्पेंसेशन न दिया जाय, चाहे उसका क्लेम कितना ही बड़ा क्यों न हो। उधर गिडवानी जी के जो अमैंडमेंट्स आए हैं, उनमें से वे छोटे क्लेम वालों, जिनकी संख्या बहुत अधिक है, उनके सुझावों की मिकदार बराबर बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं इन दोनों ही बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वे नियम के विरुद्ध हैं और न्याय पर आधारित नहीं हैं। मैं यह कहना चाहती हूँ कि छोटे क्लेम वालों की तो सरकार की ओर से हर तरह की सुविधाएं पूर्व ही दी गई हैं। ग्रामीण (रूरल) शरणार्थियों को खेती करने के लिए जमीन और ग्रामीण मकान दिए गए हैं और रोजगार करने के लिए कर्ज दिए गए हैं। और नगरीय यानी अर्बन शरणार्थियों को रीहैबिलिटेशन ग्रान्ट्स दी गई हैं। उनके लिए कई कालोनीज बनाई गई और रहने के लिए मकान दिए गए। उनको रोजगार करने के लिए कर्ज दिए गए और दुकानें दी गईं। उनके बच्चों की

पढ़ाई की फ्रीस माफ़ कर दी गई और हर बड़े, शहर में बच्चों व स्त्रियों के लिए होम्स बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों में योजनाओं में और हर प्रकार की सविस में पहले उन्हीं का हक माना गया। शिल्पकला और घरेलू उद्योग-धंधों के सेंटर शरणार्थियों के शिक्षार्थ और उनको स्वावलम्बी बनाने के लिए हर बड़े शहर में खोले गए और बहुत से डिस्लेस्ड पर्सन्स को मेन्टेनेन्स एलाउन्स दिए गए।

इसके बावजूद भी उन लोगों की जो कुछ कठिनाइयां रह गई हैं, जैसे सरकारी मकानों के नीलाम का सवाल, बिक जाने वाले मकानों में बसे हुए किरायेदारों की सुविधा का सवाल और मकानों के रेंट बढ़ जाने का सवाल है इत्यादि इत्यादि। उन सब के सम्बन्ध में भी माननीय पुनर्वास मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह यथासम्भव इसमें उचित सुधार करने का प्रयत्न करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन आठ वर्षों में इस निर्धन देश ने शरणार्थियों की सहायता में दो तीन सौ करोड़ रुपया खर्च कर डाला है। मैं समझती हूँ कि यह कर्म महत्व की बात नहीं है और इस पर मुझे बड़ा गर्व है और हर्ष है। लेकिन हमने देखा है कि इस सब सहायता का लाभ केवल मध्यम या नीची श्रेणी के शरणार्थियों को ही मिला है परन्तु जो लाक्षणिक शरणार्थी यहां आए जो एक ही दिन में धनी से भिखारी व दौन हो गए उनको यह सब लाभ प्राप्त नहीं हो सका। उनकी दशा आज भी दौन है। यह कठिन समस्या कोई धनी शरणार्थियों को अपनी बनाई हुई नहीं है परन्तु देश के दो भाग होने के कारण उनकी यह दुर्दशा हुई। आज उनकी आर्थिक दशा इतनी खराब हो गई है कि उनके लिए अपनी लड़कियों के ब्याह करना और अपने बच्चों की

पकाई जारी रखना भी दुश्वार हो रहा है। आज देश के दो भाग होने के कारण उनकी यह दुर्दशा हो रही है। अपनी लाखों की जाय-दादें, सभी सजाई महल समान कोठियां, तरह तरह के सामान, अपने गांव गिराओं उपजाऊ नहुलहाते खेत, बाग, बड़ी बड़ी नौकरियां और बढ़ते हुए रोजगार और सब धन दीलत छोड़ कर वे लोग एक ही रात में धनी मानी से मिखारी बन गए। अब इनको यहां भाए भी आठ वर्ष बीत गए हैं और पैसा और कारोबार न होने के कारण इनकी अवस्था और भी खराब हो गई है।

अब जिन शरणार्थियों की पचास साठ लाख की प्रापटी वहां रह गई, उनको मुआवजे में दो लाख रुपए तक देना, जैसा कि कम्पेन्सेशन व रीहैबिलिटेशन रूल्स १९५५ में नियत किया गया है, मेरी समझ में बहुत उचित और न्याययुक्त है।

यह कहा जाता है कि दो लाख देकर एक दम से एक ही दिन में किसी को धनी बना देना यह हमारे सोशलिस्टिक पैटन के समाज के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा, परन्तु मेरे विचार में यह कहना भ्रममूलक है। प्रथम तो सरकार की अब यह नीति है कि वह नकद रुपया किसी को न देगी अतिरिक्त बहुत छोटे क्लेम वालों को या डिस-एबलड पर्सन्स जैसे भ्रंभे लूले, लंगड़े लोग या विधवाओं को या उन लोगों को, जिनको आज मेनटेनेन्स एलाउन्स मिल रहा है, उनको ही नकद धन मिलेगा। जिन लोगों के बड़े बड़े क्लेम हैं, या जिनके क्लेम एक हज़ से बढ़ गए हैं, उनको केवल मकान या गवर्नमेंट बांड़ज मिलेंगे, जिनकी अवधि पन्द्रह वर्ष की होगी। अग्रपक्ष महोदय Rules में तो १० हज़ार तक का मकान शरणार्थियों को देने की बात है—परन्तु यदि पचास हज़ार का मकान भी दिया जाय, तो आजकल मकानों की कीमतें इतनी अधिक हैं कि उस रकम में तो एक बहुत मामली मकान प्राप्त होगा। बाकी

का जो रुपया बांड़ज की शकस में मिलेगा, वह पन्द्रह वर्ष बाद तक में थोड़ा थोड़ा किस्त में मिलेगा। इस तरह कोई एक दिन में ही धनी नहीं हो सकेगा।

मैं इस बात को मानती हूँ कि आज सरकार को देश के निर्माण के लिए बहुत धन चाहिए और आज सरकार के लिए इतना मुआवजा देना भी कठिन हो रहा है। यह बात बिल्कुल सही है परन्तु इधर यह कहा जाता है कि बड़े क्लेम वालों को ५० हज़ार से ज्यादा न दिया जाय और इधर छोटे क्लेम वालों के कम्पेन्सेशन की मिकदार बराबर बढ़ाई जा रही है। छोटे क्लेम वालों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए अगर बड़े क्लेम वालों को पूरा कम्पेन्सेशन न देकर इन लोगों के कम्पेन्सेशन की मिकदार बढ़ा दी, तो लेखा वहीं पड़ेगा और सरकार का धन उतना ही लग जायगा। फिर अधिक क्लेम वालों की संख्या बहुत थोड़ी है। जहां सरकार ने आज तक करोड़हा रुपया इन शरणार्थियों पर खर्च कर दिया है, वहां यह थोड़ा रुपया तो उसके हाथ के मूल के समान है। यह इन लोगों को देने से सरकार ने जो सभी शरणार्थियों को सहायता देने का वचन दिया था उसकी भी पूर्ति होगी और न किसी को किसी प्रकार की शिकायत का अवसर रहेगा और इसके साथ ही हमारी सरकार के न्याय की मर्यादा की शान दृढ़ होगी और शरणार्थियों की समस्या सदा के लिए समाप्त हो जायगी।

इन सभी कारणों से मैं डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कम्पेन्सेशन एंड रीहैबिलिटेशन रूल्स १९५५ का समर्थन करती हूँ और छोटे मोटे सुधारों को छोड़ कर इनके किसी मौलिक सिद्धान्त और नियम में परिवर्तन करना उचित नहीं समझती हूँ।

इस सम्बन्ध में जो तरह तरह के सुझाव आ रहे हैं, उनको देख कर मुझे कृष्ण भगवान् की वह बात याद आती है, जो उन्होंने अर्जुन

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

गीता में कही थी, कि "हे अर्जुन अनेकों धर्म हैं, अनेकों मार्ग व शास्त्र हैं, इन सब में पड़ कर तेरी बुद्धि चकरा जायगी, तू तो सर्व धर्मों परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज" यानी डिस्प्लेस्ड पर्सन्स रीहैबिलिटेशन एंड कम्पेन्सेशन रूल्स १९५५ में जो मार्ग है, वही उचित व ठीक है और तू उसी पर चल ।

लाला अर्चित राम : आज शरणार्थियों के यहां आने के आठ बरस बाद कम्पेन्सेशन के रूल्स को डिसकस करने का दिन प्राया है । आज यह फैसला होगा कि किन कायदों के मातहत उनको कम्पेन्सेशन दिया जायगा । यह खुशी की बात है कि इस काम को करने के लिए हमारे मोहतरिम माई मुकर्रर हुए हैं जो कि खुद एक रिफ्यूजी हैं । हम इन आठ सालों से बराबर सरकार से यही कहते रहे कि इस जगह पर कोई शरणार्थी मुकर्रर करो, कोई शरणार्थी मुकर्रर करो, जो कि हमारे दुःख को जानता हो । आज हमारा यह मतालबा पूरा हुआ । हम यह जानते हैं कि बहुत सी बातों में तो वे बेबस हैं लेकिन जो कुछ उनके बस की बात है वह उन्होंने की है । उन्होंने मैम्बरों को अपनी बात कहने का पूरा पूरा मौका दिया यह बड़ी खुशी की बात है और इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहता हूं । कुछ ऐसी बातें भी वे लाये जो कि हमारे दिमाग में नहीं थीं । उनका जाबिया निगाह हमेशा एक रिफ्यूजी का रहा है और उन्होंने निहायत नम्रता से और सन्न से हमारी बातें सुनीं । लेने देने की बात तो अलहिदा है, लेकिन कम से कम उन्होंने हमारी बात तो मुहम्बत से सुनी जिसके कि हम स्वाहिश-मन्द थे । इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं ।

मतलब की बात तो यह है कि आज के दिन का बहुत असे से इन्तिजार था । आज कम्पेन्सेशन के रूल बनने वाले हैं । सब रिफ्यूजीज की आंखें इधर लगी हुई थीं और वे सोचते थे

कि उनको कुछ मिलेगा । लेकिन आप गौर फरमाइये कि क्या होने वाला है । आज किस चीज का कम्पेन्सेशन मिलने वाला है ? उस चीज का जो कि उनके पास पहले से मौजूद है । यानी आज वह मकान मिलेंगे जिनमें वे रह रहे हैं, जो कि इक्वी प्रापर्टी के हैं, या जो मकान गवर्नमेंट ने बनाये हैं वे मिलेंगे, जिनमें कि रिफ्यूजी लोग पहले से ही रह रहे हैं, और जो कर्जा उनको मिल चुका है वह मिलगा । इस वक्त तो यह मिलने की बात है । रूल उस चीज के मिलने के बन रहे हैं जो कि उनको पहले से मिली हुई है । मकान मिले हुए हैं, कर्जा मिला हुआ है, और गवर्नमेंट के मकानों का एलाटमेंट भी हुआ हुआ है । इस वक्त उन चीजों के लिए रूल्स बनेंगे जो कि रिफ्यूजीज को पहले से ही मिली हुई हैं । अब तो यह देखने का काम है कि रिफ्यूजी लड़ें और आप तमाशा देखें, कोई लेने देने की बात नहीं है । अब तो काम यह है कि रिफ्यूजी लोग आपस में लड़ें और आप तमाशा देखें और उनसे कहें कि आपस में लड़ो मत, मुहम्बत करो । यह दिन किस वास्ते मुकर्रर हुआ है ? हमको लड़ाने के लिए या कि कुछ काम करने के लिए ? पहले तो हम गवर्नमेंट से लड़ते थे । अब यह कहा जा रहा है कि तुम आपस में लड़ो । आज यह बड़ी बात हुई है कि हमारे मिनिस्टर साहब क जिम्मे रिफ्यूजीज को लड़ाने का काम सुपुर्दे हो गया है । हम मिनिस्टर साहब से कहते हैं कि यह करो, कोई कहता है कि वह करो । मगर वह कहते हैं कि हमारे बाप दादे, हमसे पहले वाले मिनिस्टर, जो कुछ कर गये हैं उसके खिलाफ जाने की बात मेरे बस की नहीं है । आज हम अपने मिनिस्टर साहब की मजबूरी का मंजर देख रहे हैं । कहा जाता है कि पहले मिनिस्टर यह कर गये, दूसरे यह कर गये । पर मैं हैरान हूँ कि आखिर यह रिफ्यूजीज का मसला तय किस तरह से हो । इसमें कोई शक नहीं कि मकान मिल गये, दुकानें मिल गईं । लेकिन हम पाकिस्तान में सिर्फ रहने का तो काम नहीं



करते थे। कुछ रोटी भी खाते थे। यह ठीक है कि दुकानें मिल गई और जमीन भी मिल गयी लेकिन जब तक किसी के पास रुपया न हो दुकान कैसे चल सकती है। अगर किसी के पास रुपया न हो तो वह सिर्फ मकान में बैठ कर क्या खायगा। हमारे भ्रादरियों का पाकिस्तान में लाखों, करोड़ों बल्कि अरबों का काम था। आज जमीन और दुकान तो दी जाती है। पर इतने से ही आगे काम कैसे चलेगा। लोगों के बाप मारे गये, भाई बहिन मारे गये, बच्चे मारे गये, उनके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन जो प्रापर्टी वे छोड़ आये हैं उस के इबज में तो कुछ मिलना चाहिए। इस मामले में कहा जाता है कि गवर्नमेंट को बड़ी मुश्किल है। हमारे जो मूहतरिम भाई हैं उन्होंने हमसे कहा कि गवर्नमेंट को बड़ी मजबूरियां हैं कोई सेंसिबिल बात करो। हम पूछते हैं कि क्या सेंसिबिल बात करें? रुपये में से १५ आने मांगें, १४ आने मांगें, बारह आने या आठ आने मांगें? सेंसिबिल सेंसिबिल करते करते वे आठ आने पर आ गये। लेकिन हम को डर होता है कि अगर हम इसको सेंसिबिल कहें तो इसको भी इंसेंसिबिल न समझा जाय। एक सिलेक्ट कमेटी बैठी थी। उसमें कहा गया आठ आना सेंसिबिल है। उसमें सारे ५० भ्रादरियों ने ऐसा कहा। जब सब ने कह दिया कि यह सेंसिबिल है तो हम समझे कि यह सेंसिबिल है। जब यह मामला हाउस में आया तो हमने कहा कि हमने तो सेंसिबिल बात कही है। उस वक्त जैन साहब ने कहा था कि अभी दरवाजा बन्द नहीं है, अभी तो इंटेरिम स्कीम आवेगी। अब सन्ना साहब फाइनल स्कीम लाये हैं। अब दरवाजा बन्द हो जायगा। यह अनप्लेजेंट ड्यूटी अब उन के ऊपर आवेगी। इसके पहले तो प्लेजेंट ड्यूटी थी क्योंकि दरवाजा बन्द नहीं था। अब हमारे भाई को यह काम दिया गया है और कहा गया है कि तुम इसको फाइनल करो। तो आज का दिन किस वास्ते मुकर्रर किया गया है ?

सन्ना साहब कहते हैं कि एक लाख भ्रादमी को जिनके पास पाकिस्तान में एक एक दो दो एकड़ जमीन थी उनको जमीन एलाट हो गयी है ताकि वे अपना गुजारा चलायें। अब आप देखें कि उनको एक एक और आधा आधा एकड़ जमीन एलाट हुई है। कहा जाता है कि उनको एक्स प्रेशिया ग्रांट मिलेगी। पता नहीं क्या मिलेगा। कहा जाता है कि मजबूरी है ऐसा ही कानून बन गया है।

मेरे पास एक भ्रादमी की अर्जी है। उसने मुझ से कहा कि मैंने क्लेम दाखिल नहीं किया। जब मैंने पूछा कि उसने क्यों क्लेम दाखिल नहीं किया तो उसने कहा मैं दिन भर काम करके आठ दस आने पैदा करता हूँ। अगर मैं क्लेम दाखिल करने पी० ब्लाक जाऊँ तो मुझे रियवत के दस पांच रुपये देने को चाहिए। कैमे मैं क्लेम दाखिल कर सकता हूँ। वह भ्रादमी कांग्रेस में दो साल जेल भुगत चुका है और देश की सेवा करता रहा है। आज आठ साल बाद अगर कहा जाता है कि उसका क्लेम दाखिल किया जाय तो कहा जाता है कि मजबूरी है। हम कहते हैं कि यह बेपढ़ा लिखा भ्रादमी है, इस ने बहुत मुसीबतें उठाई हैं, तो कहा जाता है कि उसका क्लेम उसी हालत में लिया जा सकता है "इफ देअर इज सन्सटेंशियल काज फार डिले", "इफ देअर इज ए डाक्यूमेंटरी प्रूफ, दैन ए क्लेम विल बी कंसीडर्ड।" मैं हैरान हूँ कि इस सन्सटेंशियल काज आफ डिले के क्या मानी हैं। हो सकता है कि कोई भ्रादमी बीमार रहा हो, किसी की टांग कट गयी हो या बाजू टूट गया हो और वह कभी एक अस्पताल में रहा हो और कभी दूसरे में रहा हो इस वजह से क्लेम न दे सका हो। इसको सन्सटेंशियल काज मान लेना चाहिए और उसका क्लेम ले लेना चाहिए। लेकिन आप इंडिफरेंट हैं और कहते हैं कि डाक्यूमेंटरी सबूत दो। आपने ऐसा कायदा बना रखा है। आपको मालूम है कि रिफ्यूजीज में हजारों लाखों भ्रादमी बेपढ़े लिखे

हैं। जो बड़े बड़े भ्रादमी थे, जो मिनिस्टर के रिश्तेदार थे उनका तो काम हो गया लेकिन गरीब भ्रादमियों का कोई पुरसां हाल नहीं है। उनसे कहा जाता है कि तुम सम्बटेंशियल काज दो। उसके बाद डाक्यूमेंटरी प्रफ दो।

अब उन बेचारों के पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, डाक्यूमेंटरी प्रूफ कहाँ से दें। मैं इसको नहीं समझ सका कि आखिर कैसी उन रैफ्यूजीज के साथ हमदर्दी दिखलाई जा रही है। मैं जानता हूँ कि हमारे भोजूदा मिनिस्टर साहब बच्चात खुद रैफ्यूजी हैं और हमारा दर्द बखूबी समझते हैं लेकिन वे बेचारे क्या करें, उनके हाथ बंधे हुए हैं, तो ऐसी मुश्किल बात है, मैं आपको कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन इन हालात के अन्दर भी मैं तसलीम करता हूँ कि आपने कुछ हिम्मत की बातें की हैं, उसी तरह इस मामले में भी वह हिम्मत से काम लें I would request you to take up courage and जिन बातों को आप ठीक समझते हैं उनको लें, और उन केसेज को टैकिल करें यह बाद में देखा जायगा कि कितना आप उनको कर पाते हैं और कितना नहीं कर पाते हैं। मैं इस चीज से इंकार नहीं करता कि आपके प्रीडिसैसर्स आपके हाथ बांध गये और श्री मोहन लाल सक्सेना वह चार एकड़ वाला ऐक्ट बना गये . . . . .

सभापति महोदय : गुजिश्ता ऐक्ट में किसी में डाक्यूमेंटरी प्रूफ के बाबत नहीं लिखा गया था।

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर बन्द खन्ना) : क्ल्स में लिखा है।

सभापति महोदय : वह उस सूरत में होगा जबकि कोई बाप, दादा की जायदाद हो और जिसके कि बारे में डाक्यूमेंटरी प्रूफ होना नामुमकिन हो।

लाला अक्षितराम : Thank you very much; you are supporting me. I am very glad. अब यह जो मकानों और दुकानों का ५ करोड़ रुपये का पूल बना है उसमें यह रक्खा गया है कि अगर किसी शक्स को चार एकड़ से कम मिला है और अगर उसका क्लेम १० हजार से कम हो तो उसको कम्पेनसेशन नहीं दिया जायगा, भले ही उसके ६ हजार ६ सौ के दस क्लेम्स हों। मैं तो यह कायदे कानून देख कर हैरान हो जाता हूँ कि आखिर किस दिल से यह सब कायदा कानून हमारे लोगों ने पी० ब्लाक में या और कहीं बैठ कर बनाया है। मेरा तो यह सब चीज देख कर दुःख के मारे दिल फटने लगता है। और जब हम उसके बारे में आवाज बुलन्द करते हैं और कहते हैं कि यह तो रिफ्यूजीज पर बड़ा जुल्म है तो हमसे कहा जाता है कि Don't talk about it, it cannot be reopened. मुझे तो हैरानी होती है कि आखिर यह माजरा क्या है ? और ऐसा हुकम क्यों कर जारी किया जाता है ? मुल्क ने फ़ैसला किया है कि यह मुल्क फ़ासिज्म निजाम को रूबूल नहीं करता, डिक्टेटरशिप को रूबूल नहीं करता, बल्कि यह डेमोक्रेसी को रूबूल करता है, फ़ैसला हुआ कि इस मुल्क के अन्दर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, तो भाई उसमें तो कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए जिसमें लोगों की आवाज की सुनवाई हो। लोग पुकार कर कह रहे हैं कि यह तरीका गलत है और यह हमें यंजूर नहीं है, तब मेरी समझ में नहीं आता कि इसको क्यों जारी रक्खा जा रहा है ? क्लेम्स दाखिल करने के लिए हमसे मुतालिबा किया गया कि हम सेंसिबिल डिमांड करें और सेलेक्ट कमेटी ने एक राय से जितने का क्लेम हो उसके फिफटी परसेंट को सेंसिबिल क्लेम माना है लेकिन ग्राज क्या हालत हो रही है। अगर किसी शक्स को चार एकड़ से ज्यादा एलाटमेंट हुआ है और उसका क्लेम अगर २० हजार से कम का है

[लाला अर्चित राम]

भले ही उसके १६,१६ हजार के दस क्लेम्स हों तो वह नहीं लिये जायेंगे और दूसरे यह कि बीस हजार से ऊपर का एक ही क्लेम लिया जायगा, भले ही चाहे बीस हजार के उसके दस क्लेम्स हों। दस क्लेम्स में से केवल एक ही क्लेम लिया जायगा। मैं तो आपसे कहूंगा कि जैसे आपके हाथ बंधे हैं और मुमकिन है कि आप कल को फूड मिनिस्टर बन जायं या डिफेंस मिनिस्टर बन जायं और यह चीज यूं ही पड़ी रह जाय, इसलिए आपको हिम्मत करके भोंसले साहब के वास्ते कुछ रास्ता खोल देना चाहिए ताकि वह आगे बढ़ कर कुछ हमारे मुसीबत-जुदा लोगों को राहत देने के वास्ते काम कर सकें।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : पहले यह काम तो खत्म कर दें।

सरदार हुक्म सिंह : आप चाहते हैं कि जल्दी यह काम खत्म कर दें, दरवाजा बन्द करके भोंसले साहब को भी अपने साथ ही मिनिस्टर साहब ले जायेंगे।

लाला अर्चित राम : काम खत्म करने की कोशिश मत कीजिये। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप क्लेम्स सब के लें ताकि दुनिया को यह तो मालूम हो जाय कि आप इंसाफ पसन्द हैं। क्लेम्स का पेंमेंट करना तो जुदा बाते हैं लेकिन आप पहले लोगों के क्लेम तो इंटरटेन करें और इसके लिए अगर पुराने क़ानून में तबदीली करना पड़े, तो मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि वह इसमें जरूरी तबदीली करें या तो एक नया क़ानून बनायें और सब के क्लेम्स आप लें ताकि रेफ्यूजीज जो मुसीबत के मारे हैं, वे यह तो समझें कि आखिर हमारा एक रेफ्यूजी मिनिस्टर आया जिसने हमारे सब लोगों के क्लेम्स ले लिये। आप चार एकड़ से ऊपर, लाख से ऊपर के जिनके क्लेम्स हैं, या जिनको अलवर वर्ग रहें मैं बंजर ज़मीनें मिसी हुई हैं, उन सबके क्लेम्स आप ले लें, मैं जहां तक पेंमेंट का ताल्लुक है, बिल्कुल मायूस नहीं हूँ

और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे गर्बनमेंट ने कम्पेनसेशन पूल में आहिस्ता आहिस्ता रुपया दिया, इसमें भी जरूर आगे आयेगी और यह बड़ी खुशी की बात है कि पंत जी भी हमारे पंडित जी की मदद के वास्ते आ गये हैं और जिन्होंने कि बड़े बड़े मसलों को मिनटों में हल कर दिया, मैं समझता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम जो रुपये की जगह अठन्नी मांग रहे हैं और जिसको कि सबने एक आवाज से रीजनेबल डिमांड कहा है उसको वे पूरी करेंगे, साढ़े ६ आने देने के बजाय ६. ७ पैसे और दे देना कौन सी मुश्किल बात है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी मांग है उसको मंजूर करना कोई मुश्किल बात नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी उसके लिए कोशिश करेंगे और कोई वजह मुझे नहीं दीखती कि वह क्यों नहीं मंजूर होगी। आज आप देखिये मार्केट के अन्दर क्या हाल हो रहा है। मार्केट के अन्दर लाखों आदमी ऐसे हैं जिनके कि क्लेम्स नहीं लिये गये हैं और जिनके क्लेम्स दाखिल हैं, उनके क्लेम्स बिक रहे हैं। एक रुपये का क्लेम ६ आने में बाजार में बिक रहा है। जिस शरूल का क्लेम २ हजार रुपये का है, वह ६०० और ७०० रुपये में बिक रहा है। बेचने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं रहा है क्योंकि रुपया उनके पास है नहीं, इसलिए लाचारी दर्जे रुपया लेने के वास्ते उन्हें अपने क्लेम को कैंटिलिस्ट्स के हाथ बेचना पड़ता है। मेहरबानी करके कोई ऐसा तरीका निकालिये जिससे हमारे जो जमाने के सताये हुए दुखी शरणार्थी भाई हैं जिनके गले पर छुरी चली है और जिनमें थोड़ा सा दम बाक़ी है, वह जिन्दा रह सकें। हमने सोशलिस्टिक पैट्रन आफ सोसायटी कायम करने का फ़ैसला किया है तो मुनासिब तो यह था कि रेफ्यूजीज को मदद पहुंचायी जाती और उनको ठीक तरह बैठाया जाता। अगर इस देश में टाटा, बिड़ला, और डालमिया जैसे करोड़ पति लोग और दूसरे उसी क्लास के लोग

[शाला अचित्त राम]

रह सकते हैं तो यकीनन् हमारे ढांचे में यह मुसीबतजदा भाई भी रह सकते हैं और मैं नहीं समझता कि कौन सी मुसीबत या एकावट आपके रास्ते में इनको इमदाद देने में हायल है और गरीब होने के नाते यह आपकी इमदाद के सबसे पहले मुस्तहक हैं और मैं समझता हूँ कि इस मकसद में पंत साहब, मौलाना साहब और पंडित जी मिल कर काम करें तो जरूर कामयाब होंगे, खाली ६५ करोड़ की ही तो बात है। खाली ऐडवाइजरी कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा, काम तभी चल सकता है और रैफ्यूजी बल्ड सारा तभी सैटिसफाई हो सकता है जब ६५ करोड़ के आप बांड्स दें।

**Shri G. H. Deshpande:** I rise to express my views on the matter that is being discussed in the House. My request to the Government is that the rules, as they are framed, ought to be as liberally interpreted in the interests of the refugees as possible. If they are followed very rigidly, I have come to the conclusion that they will adversely affect the interests of a very large number of poor refugees.

I am myself associated as Chairman of the Welfare Association of the refugees of my district that is Nasik in Bombay State. A large number of Sindhis have come there since years and they are making marvellous efforts to rehabilitate themselves. I do not, for a moment, under estimate the work that Government has done for the refugees till now; but, I would like to impress upon the Government that what has been done is not enough. There are a number of people who are extremely poor and nothing has been done for them as yet in spite of their own laudable efforts.

I would like, for instance, to bring to the notice of this hon. House that this distinction regarding rural and urban areas is going to hit very hard a very large number of people coming from Sind. I have got one instance with me. There is a place in Sind

known as Pir-jo-goth. It was a town practically under the principality of the ex-Pir Pagaro. These refugees were there for seven generations and they wielded great influence with the then Government before they came into disfavour with the Government. That was a big place which had a population of more than 15,000 people. It was practically an urban town. There could not be any municipality because the Pir did not want it to be a municipal town. There are even villages of 3,000 population which are, for the purposes of this rule, treated as urban areas, while this particular place to which I have referred, has been treated, under the present rules, as a rural area. Seven thousand people from that township are nearabout Kalyan, near Bombay in the refugee colony there. A few are in my town also. Suppose that place is treated today for the purposes of compensation as a rural area, how hardly they will be hit. I cannot understand this distinction based on rural and urban areas, simply because that town did not fall in the category of a municipality. If one would go into the history of this town, immediately that Pir was removed from office, a sanitary committee was established. In my possession, I have a letter from the Chairman of that committee. He has given the exact figures of the population of the town. I have also in my possession an other letter from one who carried on a survey there with a view to establish a municipality there. I have enquired from our High Commissioner in Karachi as to what other steps were taken. Unfortunately, I have not yet received the reply, though I have received the acknowledgment. What I want to impress upon this hon. House is that there might be some other cases of that type also, and if rigidly you are going to follow the rule and say that simply because there is no municipality there, it should be treated as a rural area for the purpose of compensation, it will surely be unjust in my opinion. So, some way ought to be found; rules ought to be interpreted

liberally. My predecessor just now said that after all the Minister is tied down within certain limits. No doubt he is, but if such hardships are there, I would make a bold suggestion that, if it is necessary, you should change the rules and if it is further necessary the Act also. After all, I would say that the rules and the Act are for us and we not for the rules and the Act. When we passed the Act perhaps we did not imagine that at times it would land us in difficulties. But if after having passed that Act and if after having studied the rules when we are just now embarking on the policy of making payments and if we find that a very large number of poor people are going to be hit and hit very hard, it will be worth while trying to investigate whether the modification of the Act also is necessary. If a way can be found out without modifying the Act, if some rules can be conveniently changed and such hard cases can be given relief, then I think the purpose will be served.

Again I would refer to another case. Simply because a man was allotted four acres of land, should he be debarred from the other benefits of compensation? This is very strange; it is more strange because when that piece of land was offered to him, it was never made known to him that he would not be entitled to any further compensation. He was told that the camps were overcrowded and so they wanted to remove him from overcrowded camp. As a good citizen he co-operated with the Government and agreed to get himself removed from the camp. He accepted to go and work on the land. Are you going to tell that man today that because he cooperated with you and did not refuse to get himself out from the camp, he will not be entitled to any reasonable compensation? Will that be just? If you go even now, that is, after eight years to some of the refugees, they talk in a somewhat unbalanced mind. I have seen so many people grumbling about them, but I would request them to place themselves in that condition and view the position. I do not know what

would have happened to me had I been a refugee. No doubt, we have spent a large amount of money in rehabilitating them; no doubt there are great demands and urgent needs before the Government of India, but at the same time who are these people whose cases we are considering today? They are the people who have paid the highest price for the freedom that we have won. Suppose the country were attacked by a foreign power and the people on the border had lost everything that they owned, would it not have been the duty of the nation to rebuild the entire frontier which might have been destroyed? There is a case which ought to be treated on the same footing. They have paid the highest price for the freedom that we are enjoying today, and it is our solemn duty, even if we are inconvenienced to some extent, to see that they are reasonably rehabilitated in this country. As I have said, I do not want to underestimate the work that has been done. If much has been done, much remains also to be done and that ought not to be forgotten. Therefore, a very sympathetic view of the case ought to be taken.

[SHRI BARMAN in the Chair]

I know certain other cases also. A certain refugee came to me here and he has a certified claim of Rs. 20,000. His age is 75. There was some scheme announced that people who are above sixty will get something by way of compensation or loans if they have some claim, and a certain time limit was prescribed within which they will be given some relief. This man applied and his application was sent by registered post. He did not get any reply for four months. He happened to come to me by chance. I went and enquired myself, along with him, in the 'P' Block or some other building and they told me point blank "No, no; we have not received the application of this gentleman." I had the receipt in my pocket but I did not say a word. Then I wrote 'o the officer concerned that we had the receipt. Then they said that the ap-

[Shri G. H. Deshpande]

plication had been misplaced and so it could not be traced then. But what is the price that the old man had to pay for that mistake of someone else? He did not get any relief in spite of my repeated requests. Every time some difficulties were shown to us. Ultimately that man lost his ailing old wife also and has got nothing as yet. That man cannot do anything simply because his application was not traceable. This is not the solitary instance, but there are many cases of this type.

**Pandit Thakur Das Bhargava** (Gurgaon): Several thousands of files have been lost.

**Shri G. H. Deshpande:** The offices are overworked. There is some difficulty of language also. All that I know, but taking into consideration all this, I have to say that we should not depend on technicalities in these matters. The department must be handled somewhat in a missionary spirit. You must ever try to help the people; you must ever try to accommodate them. So, when we are considering the rules, I would urge upon you to see that glaring injustices will not be committed, and cases like the Pir-jo-goth, a place in Sind, ought to be taken into consideration, and they should not be treated as rural areas but ought to be treated as urban areas because they were urban areas.

**श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालंधर) :** जहां तक डिसप्लेस्ड परसंज को सहायता देने का ताल्लुक है, जैसे कि मुझ से पहले के वक्ताओं ने कहा कि काफी परिश्रम किया गया है, काफी कोशिश की गई और बहुत सारे धंधे भी चलाये गए हैं और स्क्रीमें भी बनाई गई हैं लेकिन उन पे अभी तक किसी को कोई सन्तोष नहीं हुआ। थह बहुत ही अफमोस का विषय है कि बावजूद इतनी मेहनत करने के, बावजूद इतना परिश्रम करने के और बावजूद इतनी कोशिश करने के और साथ ही साथ डिपार्टमेंट को काफी लम्बा चौड़ा करके चलाने के हम अभी तक डिस-

प्लेस्ड परसंज के मनो में संतोष की भावना पैदा नहीं कर पाये हैं। इसका नतीजा यह है कि एक तूफान सा उनके दिल के अन्दर है जिसको कि वे लोग जो उनके साथ मिलते हैं और उन को समझते हैं कि वे अनुभव करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या हमने जो कानून बनाये हैं क्या उनसे डिसप्लेस्ड परसंज को संतोष हो रहा है या नहीं। मैं इस बहस में पड़ना नहीं चाहता कि धाया जो कानून हमने बनाये हैं वे अच्छे हैं या बुरे। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि हमारे यह तमाम कानून उस टेस्ट पर पूरे नहीं उत्तर रहे हैं, उस कसौटी पर नहीं उतर रहे हैं जिससे कि डिसप्लेस्ड परसंज को संतोष हो सके। मैं जानता हूँ कि यह लोग इतने मूर्ख नहीं हैं या इतने ना समझ नहीं हैं कि वे यह न समझते हों कि हमारी सरकार की क्या लिमिटेशन है, क्या सीमायें हैं और या यह न समझ सकते हों कि हमारा जो पूल है या नुसलमान जाती बार जो जाय-दादें यहां छोड़ गए हैं वह बहुत ही कम है। हमारे भाई जो कि पाकिस्तान से यहां ध्राये हैं वे इन तमाम बातों को समझते हैं। यदि ध्राप उनसे बात करें तो ध्राप महसूस करेंगे कि वे यह बात जानते हैं और समझते भी हैं कि हमारे पास जो पूल है वह बहुत ही कम है। लेकिन उनका असंतोष दो बातों पर ध्राधारित है, एक तो यह कि जो कानून हम बनाते हैं और जो नियम हम बनाते हैं या जो स्क्रीमें हम बनाते हैं उनमें हम इस बात की कोशिश नहीं करते कि यह देखें कि रिफ्यूजीज को संतोष किस बात से होगा। यह ठीक है कि एडवाइजरी कमिटीज बैठती हैं और वहां पर बातचीत होती है लेकिन वहां कुछ ऐसी मुश्किलत पेश कर दी जाती हैं और ऐसी कठिनाइयां पेश की जाती हैं कि "फलां काम तो हो ही नहीं सकता" "इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं मानता" या "इस चीज के करने में फलां फलां दिक्कतें हो जाएंगी।" इसके बाद यह कह दिया जाता

हे कि चूँकि यह मुश्किलता है और यह लिमिटेड-शॉज है इसलिए आगे विचार नहीं हो सकता और यही कारण है कि हमारे लोग जो कि उन एडवाइजरी कमिटीज में होते हैं उनको चुप हो जाना पड़ता है। चूँकि विचार हो नहीं सकता इसलिए आप वहाँ कोई बात नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि इस मसले का ताल्लुक केवल रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट से ही नहीं है। यह तमाम गवर्नमेंट का विषय है और गवर्नमेंट को इस मसले पर सामूहिक रूप से सोचना चाहिये। हमें विचार करना चाहिये कि हम कैसे इनको संतुष्ट कर सकते हैं।

जितनी भी दिक्कतें हैं और जितनी भी कठिनाइयाँ हैं इन पर विचार करके, डैमोक्रैटिक ढंग से विचार करके यदि हम इनको रिफ्यूजीज के सामने रखें और उनको बतायें कि यह प्रापर्टी है, वह पूल है, इतना गवर्नमेंट इसके अन्दर डालना चाहती है, आप बैठो, स्कीमें बनाओ और सब फँसले करो और इस सब काम की जिम्मेवारी आपकी ही है तो मैं समझता हूँ कि यह चीज अच्छी तरह से हल हो सकती है और अच्छे निर्णय हो सकते हैं। इस तरह से जो जो फँसला वहाँ होगा वह अच्छा फँसला होगा। अभी तक जितने भी रूल्ज हमने बनाये हैं, जितने भी कानून बनाये हैं वे रिफ्यूजीज को पूरा संतोष देने वाले नहीं हैं।

4 P.M.

मैं एक एक चीज को लेता हूँ। आपने यह फँसला किया कि पांच हज़ार रुपए से नीचे की की जो गवर्नमेंट की प्रापर्टी है या इवैकुई प्रापर्टी है, उसको हम आक्शन नहीं करेंगे और बाकी जायदाद को आक्शन कर देंगे। इस अब यह आम शिकायत पैदा हो रही है कि छोटे छोटे शहरों में ऐसी कई जायदादें हो सकती हैं जिनकी कीमत पांच हज़ार या उससे हो, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक आदमी अहीं से चला और यहाँ आकर बसा। उसने

एक जायदाद ले ली, या गवर्नमेंट कि बनाई हुई एक प्रापर्टी ले ली या कोई इवैकुई प्रापर्टी ले ली। उसको कोई मकान दिया गया, बैठने की एक जगह दी गई या कोई दुकान दी गई। यहाँ पर अगर हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से चलें, तो यहाँ पर कोई ऐसी प्रापर्टी नहीं मिलेगी, जिसकी कीमत पांच हज़ार से कम निकले। अगर हम ग्राउन्ड की मार्केट वैल्यू लेंगे, तो दिल्ली में या और बड़े बड़े शहरों में वह कीमत बहुत बढ़ जायगी। अगर उसको आक्शन करेंगे, तो इसका नतीजा यह होगा कि बहुत से लोग बगैर घर-बार के रह जायेंगे। आज सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हर एक व्यक्ति को सिर छिपाने के लिए कोई न कोई जगह मुहैया की जाय। दिल्ली जैसे बड़े शहर में तो एक छोटे से मकान की कीमत पचास हज़ार या इससे भी ज्यादा हो जायगी, जिसमें दो छोटे छोटे कमरे हैं और एक आदमी अपने बीबी-बच्चों के साथ उनमें रह रहा है। आखिर वह आदमी, जो दिल्ली या कलकत्ता जैसे बड़े शहर में रहता है, कहां रहेगा? आप उसको कहीं बसायेंगे या नहीं? उसको कहीं जगह देंगे या नहीं? आपको यह देखना पड़ेगा कि बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे मकानों की भी कीमत लाखों तौर पर बहुत ज्यादा होगी और वही कीमत उसको देनी पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस बारे में कोई हल निकालिए। जो इन्तज़ाम आज-कल चल रहा है, उससे तो बहुत से लोग बगैर शैल्टर के हो जायेंगे और उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जायगी। आवश्यकता इस बात की है कि इस समस्या को सहानुभूति से देखा जाय, किन्तु मुझे खेद है कि आज वह भावना मौजूद नहीं है। आज हम कानूनों में उलझ जाते हैं। मुझ से पहले एक वक्ता ने कहा है कि कानून इंसान के लिए है, इंसान कानून के लिए नहीं है और जब हम कानून के लिए इंसान को कुर्बान कर देते हैं, तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। इस

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

वक्त हमारे सामने सवाल यह है कि हमने लोगों को काम देना है, उनको किसी न किसी प्रकार बसाना है और ऐसा करने के लिए यह जरूरी है कि आपने जो नीलामी की जो हद बनाई है, उसको बढ़ा दिया जाये।

कम्पेन्सेशन के सिलसिले में हमने पचास हजार की सीमा मुकर्रर की है। अब हम लोग यह चर्चा सुन रहे हैं कि अब इस सीमा को दो लाख या उससे भी अधिक तक बढ़ा दिया जाये। मैं निवदन करना चाहता हूँ कि यह एक नीति का सवाल है कि जो लोग कम वित्त वाले हैं, कम धन और कम सामर्थ्य वाले हैं, उनको पहले बसाया जाय और फिर दूसरों को बसाया जाय या यह कि कम वित्त वालों को जितना दे दिया, वह काफ़ी है और अब ज्यादा प्रापर्टी वालों को सन्तुष्ट किया जाये। मैं समझता हूँ कि अगर इस विषय में मुझ से पूछा जाय या इस हाउस के सदस्यों और जनता की राय मांगी जाय, तो सब इस बात पर जोर देंगे और सब की यह स्वाहिस होगी कि जो लोग कम वित्त वाले हैं, पहले उनको बसाया जाये। यह बात नहीं है कि जो लोग ज्यादा प्रापर्टी वाले हैं, उनको हम उनके हक से डिप्राइव कर रहे हैं—बंचित कर रहे हैं। उनके लिए हमने एक लिमिट मुकर्रर कर दी है—पचास हजार की लिमिट रख दी है। वे बोली दें और अपने क्लेम को पूरा करा लें। लेकिन जो कम वित्त वाले हैं, कम क्लेम वाले हैं, उनके हिलों का भी ध्यान रखा जाय और उनकी भी संतुष्टि के लिए पूल के हिस्से को लेना चाहिए।

मुझे अफ़सोस है कि इस सारे मामले में देहाती मकानों के क्लेमेन्ट्स के साथ बे-इंसाफी हुई है। हमारे यहां जितनी प्रापर्टी रह गई है, उसकी कीमत हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और हमारे लोग जो प्रापर्टी पाकिस्तान में छोड़ आए हैं, उसकी कीमत हमने बहुत घटा दी है।

यह जो वैल्युएशन की गई है, वह एक मनमाने और अरारबिट्रेरी तरीके से की गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि वह किस उसूल की बिना पर की गई है जहां तक मैं समझता हूँ, हमने इस बात की कोशिश की है कि किसी तरह से फ़िगर्ज़ में, कागज़ों के ऊपर, हम यह दिखा दें कि यह प्रापर्टी का पूल बहुत ज्यादा है। मंत्री महोदय की दिक्कत को मैं जानता हूँ। मैं उनकी इस एंगज़ाइटी को समझता हूँ कि वह दिखा सकें कि हमने लोगों के क्लेम में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डाल दिया, ज्यादा से ज्यादा दे दिया। इसी वजह से उन्होंने पूल की कीमत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की और इसी लिए उन्होंने आक्शन का तरीका निकाला। लेकिन हमें इस बात का स्थाल रखना चाहिए कि हम किसी तबके के साथ अन्याय न करें। मुझे यह बताते हुए अफ़सोस होता है कि रूलर हाउसिच के मामले में हमने काफ़ी अन्याय किया है। उनमें से बहुत से हाउसिच ऐसे हैं, जिनका अब तक किसी ने किराया वसूल नहीं किया है और जो आज तक एलाट नहीं हो सके हैं। वे नान-रेफ्यूजीच के पास हैं। मेरी कांस्टीट्युएन्सी में आदमपुर का इलाका है। वह एक छोटा सा कस्बा है। नान-रेफ्यूजीच वहां रह रहे हैं। मैंने कई दफ़ा गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ़ दिलाया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मालूम नहीं कि नान-रेफ्यूजीच कितनी देर से वहां रह रहे हैं और कितना किराया वसूल कर चुके हैं, लेकिन रेफ्यूजीच को वे मकान नहीं मिलते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या इन्तज़ाम की कमी है? मैं चाहता हूँ कि सरकार उन मकानों को भी पूल में शामिल कर ले। जब हम छोटे से छोटे टुकड़े को भी पूल में रखना चाहते हैं और रख रहे हैं, तो उन को क्यों इग्नोर किया जा रहा है?

इसी तरह से मैं यह अनुभव करता हूँ कि अरबन लैंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम



एक तरीका अस्तित्‍यार कर सकते थे। पाकिस्तान में फस्ट, सैकंड और थर्ड क्लास म्यूनिस्सिपल कमेटीज थीं और यहां भी फस्ट, सैकंड और थर्ड क्लास म्यूनिस्सिपल कमेटीज हैं। बजाय इसके कि हम वैल्यु फ्रार वैल्यु का तरीका अस्तित्‍यार करते, हम को यह करना चाहिए था कि लोग जितनी अरबन लैंडज वहां पर छोड़ आए थे, और जितनी यहां हमारे पास हैं, उनकी प्रोपोर्शन निकालने। जिसकी लैंड फस्ट क्लास म्यूनिस्सिपल कमेटी में होती, उसको यहां भी फस्ट क्लास म्यूनिस्सिपल कमेटी में देते और उसी हिसाब से दूसरों को भी दे देते। हम यह तय करते कि कितने क्लेमेंट्स हैं, कितनी लैंड है और क्या प्रोपोर्शन है। इस तरीके से अगर हम काइन्ड फ्रार काइन्ड देने की कोशिश करते, तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को ज्यादा संतुष्ट कर सकते थे, क्योंकि उसमें यह साफ हो जाता कि कितना हमारे पास है और कितना हम दे रहे हैं। लेकिन हम ने वैल्युएशन फ्रार वैल्युएशन का तरीका अपनाया और स्टैंडर्ड एकड़ बनाए। मैं अनुभव करता हूँ कि स्टैंडर्ड एकड़ का तरीका अब बहुत पुराना हो गया है और उसके ऊपर इस वक्त कोई ऐतराज करना शायद एक हिमाकत समझा जायगा और एक किस्म की हैरिसी समझा जायगा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड एकड़ का तरीका एक अनसाइटिफिक तरीका है। अगर जरूरत बारीकी से देखा जाय, तो हम महसूस करेंगे कि उसका बेसिस ही गलत है। यह वैल्युएशन का तरीका हमने रखा और उसी के ऊपर हम सब काम कर रहे हैं।

ज्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ वही निवेदन करूंगा कि आप इस बारे में फिर से सोचें। आपने जो क्लेज पेश किए हैं, वे पास हो ही जायेंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप डिस्लेन्ड पर्सन्ज को—जिनके लिए यह तयाम किया जा रहा है, जिनके लिए यह महकमा है, जिनके लिए हम यह इन्तजाम कर

रहे हैं—बसाना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं, तो आप को इस समस्या पर फिर से गौर करना होगा। अगर उन लोगों की संतुष्टि नहीं होती है, तो फिर हमारा यह तयाम इन्तजाम रद्दी हो जायगा।

पिछले आठ सालों से हमने इस बारे में बहुत मेहनत की है, यह बात मैं मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो पहले मंत्री महोदय थे और जो इस वक्त हैं, दोनों ने कितनी मेहनत की है, कितनी सिरदर्दी की है, कितना परिश्रम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे वर्तमान मंत्री महोदय खुद रेफ्रूजी हैं। शुरू से ही जितना समय उन्होंने इस काम के लिए दिया है, कोई बिरला व्यक्ति ही होगा, जिसने इतना परिश्रम किया होगा। मैं उसकी दाद देता हूँ और मेरे ख्याल में हर शरणार्थी भाई उनको धन्यवाद देता है। भोंसले साहब ने भी इस बारे में बड़ा परिश्रम किया है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ।

लेकिन अगर परिश्रम का फल न मिले, उसका एप्रिसिएशन न हो तो उसके लिए बहुत अफसोस होगा। मैं चाहता हूँ कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें कि एप्रिसिएशन भी हो और संतुष्टि भी हो, ताकि हम कह सकें कि जो कुछ हमने काम किया है वह उजड़े हुए लोगों की संतुष्टि के लिए किया है सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए नहीं किया है।

**Shri N. B. Chowdhury:** Just about a year back when we were discussing the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Bill, it was observed by us that the Bill was merely an enabling measure and the manner of administration of the Act as also the rules that would be framed under section 40 would be real tests of the measure. There was also provided according to a certain section the constitution of an advisory board and it was expected at that time, by the hon. Minister himself while moving the motion for consideration, that the advisory board

[Shri N. B. Chowdhury]

would be sensitive to the repercussions on the refugees and also to the public opinion outside. We do not know exactly how far the advisory board had been sensitive to the repercussions on the refugees and how far these rules reflect the opinion of the advisory board itself.

As regards the repercussions and as regards the public opinion outside we have no doubt at all. We have seen outside the gates of this Parliament House so many demonstrations by refugee associations and United Front of Refugees. We have seen demonstrations before the House of the Minister and demonstrations at different other places. There is a terrible panic that the refugees are going to be evicted; that they are going to lose their shops; that there is going to be demolition of houses; certain houses in Rajinder Nagar are to be demolished and people in East Patel Nagar are afraid that they will be evicted out of their tenements. So, all sorts of fears are there.

The refugees are certainly very much eager to have a proper compensation scheme. They were all these years looking forward to such a scheme and had here been a proper compensation scheme they would have certainly received it with joy in spite of the fact that they are living a very miserable life and are having a very precarious existence too. But, instead of that, these rules and the manner of implementation of the interim compensation scheme, of which we have some experience, have only created a serious anxiety <sup>in</sup> their minds.

Now, what is the compensation pool that we are going to utilise for the purpose of paying compensation and what is the purpose of these rules? There is no doubt an element of rehabilitation in this measure, but to what extent? In this connection, first of all, I shall quote a few lines from what the hon. Minister Shri A. P. Jain wrote under the heading "To my friends" in this Interim Compensation Scheme. While concluding his introductory remarks he said:

"Our rehabilitation schemes have accordingly been integrated with national planning. While compensation must necessarily bear some relationship to the value of the properties left behind by individual claimants, in the larger interests of all, it must conform to the requirements of rehabilitation".

But, we know that there is only a pool of Rs. 185 crores and that too is considered to be an over-estimate. Even of that Rs. 185 crores only Rs. 150 crores worth of property are there and about Rs. 30 to Rs. 25 crores account for the loans or the grants that the Government might have already paid. So, in such circumstances we find that what is going to be done is only making some sort of redistribution and if something is going to be done that is to be taken out of other refugees. Therefore, it is a question of exploiting certain class of refugees to pay some other class of refugees. Since you are in the Chair, I am tempted to quote a Bengalee saying, very appropriate to this occasion: "Macher tele mach bhaja" meaning: "in order to fry fish you use the oil of fish itself" That is the position in which we find ourselves under this scheme.

**Sardar Hukam Singh:** There a better proverb in Punjabi.

**Shri Mehr Chand Khanna:** I had been in Bengal for 6 to 8 months.

**Shri N. B. Chowdhury:** I have not time to hear any interruptions. That time may be utilised in rendering some service to our refugee friends. Instead of a really sympathetic scheme to see that the refugee people are properly rehabilitated we find that all sorts of fear are haunting the minds of the refugees in this country. Where we are speaking about the establishment of a welfare State according to the articles of the Constitution, we find that the manner in which the ruling party of today has acted has been responsible for the miserable plight of so many millions

of displaced persons. We find they are not at all serious and they are not at all responsible enough to view this problem with the amount of seriousness that it deserves.

Sir, before taking up the question of rural property to which the hon. Member from Nasik has referred, I would like to say something, first of all, about the urban property, particularly about the shops and houses. We are told that about 60 per cent. of the houses are occupied by the non-claimants and 10 per cent. by the small claimants. From this it would be clear that a vast number of the refugee population have very little verified claims or they have no claims at all. This scheme is to pay something only to those who have some verified claims. Therefore, what would be the result? Those refugees who have no claims but are occupying certain houses for all these years, running certain shops or cultivating certain lands will be evicted. There will be misery and all sorts of difficulties so far as a vast majority of the refugees are concerned.

In Delhi and other urban areas the refugees are demanding that they have to raise the limit of allotability from Rs. 5,000 to 10,000. There have been so many representations and demonstrations but the hon. Minister has not yet announced anything by way of assuring the refugees. In this connection I would like to quote what the previous Rehabilitation Minister said in the Lok Sabha. He spoke in Hindi, but so far as I could make out from his speech he said:

"He as Rehabilitation Minister, had taken the responsibility of rehabilitating displaced persons and how could anybody in the House think that he would like to uproot them again. As far as Government-built houses were concerned, they would be sold at a proper price to people living in them. In the case of displaced persons living in these houses and having claims, the price of these houses would be adjusted against claims. But other displaced per-

sons occupying them but having no claims would be enable to own these houses on payment of a proper price in instalments."

Then he further said:

"The uprooting would mean that the problem will not only arise of giving them shelter under some other roof but also of providing some job or other near their place of residence. I am not so foolish as to uproot the people and again have the problem of rehabilitating them on my hands."

This was the statement made of the assurance given by the hon. Minister, as we find, in his speech. So, why is this anxiety, why is this fear in the minds of the refugees today? From the interim compensation scheme, we have come to the final compensation scheme. There was a limit of Rs. 50,000 put on the compensation scheme. Now, it has been raised to Rs. 2 lakhs. Already it has been said that since in our country we have got the Tatas, Birlas and Dalmias, there is no point in putting a ceiling on the properties of the refugees. Why should the refugees alone be subject to a ceiling? In principle, we have no objection, but what we want to urge is that since the Government do not augment the pool, they do not contribute a substantial amount to this pool, then, in that case, it will create difficulty....

**Mr. Chairman:** The hon. Member's time is up. Only three minutes more.

**Shri N. B. Chowdhury:** Fifteen minutes are allowed. I want only five minutes more. I shall speak at length while taking up the amendments, but now I would like to make certain general remarks. The refugees here were given an assurance but today we find that those assurances are not being fulfilled. This limit of Rs. 50,000, if stuck to will bring something more to the compensation pool and so we think that if the Government do not augment the pool, then we cannot go beyond this limit of Rs. 50,000.

Then there are so many limitations. If a certain refugee cannot pay more

[Shri N. B. Chowdhury]

than 50 per cent. of the price of a particular shop or house and if his verified claim does not amount to at least 50 per cent. of that, then, in that case, he may be evicted in certain cases. Then there are so many non-claimants. So, it is very necessary that we give careful thought to such cases and make adequate amendments so that the scheme may be improved.

Coming to the question of refugee peasants, I find that there is some sort of discrimination, as has already been referred to, by Shri Gidwani and some other Members also. They are not allowed to file any claim for houses worth below Rs. 10,000. The gross injustice of this has already been pointed out. If they had been allotted anywhere four standard acres of land then in that case they could not file any claim for rural houses even if they were Rs. 19,000 or worth something below Rs. 20,000. So, what is the fault of those people? Although they had houses worth, say Rs. 12,000 or Rs. 15,000 you say they should not get anything, while people living in urban areas would get compensation for houses, whatever they are worth, provided they are situated in urban areas.

Take, for instance, the case of the peasants in Rajasthan, especially in the districts of Alwar, Bharatpur and Ganganagar. They are living there on the definite assurance that occupancy rights will be given to them. They were asked to go to those places. They were living there for so many years and they have been cultivating the lands. They have somehow adjusted themselves there. Now, the Government is asking them, through these rules, to pay the price of the land. It will be astonishing to the House when I say that while under the Rajasthan Tenancy Act passed last year, the local peasants who had been occupancy tenants are going to have the ownership rights, here is an atrocious distinction, an atrocious discrimination against the refugees. This is just the opposite of what we

expect. We expect that some sympathetic consideration should be given to the refugees but, instead of that, we have just the opposite thing. While in Rajasthan the local peasants under the local land reform laws are going to get certain facilities by way of acquisition of occupancy rights, these people here, who were allowed land and were not allowed to file their claims or their claims were rejected in respect of rural houses, are now being asked to pay the price of land in instalments. Whether it is a case of land or whether it is a case of shop or urban houses, we find that they are asked to pay the arrears, whatever be his verified claim, in instalments of two years or four years. How can these people pay? If you consider their income, their budget and the conditions in which they are living—you have allowed one room to be occupied by five people—and such other factors, it will be clear that these rules have to be changed. They should be given an opportunity to pay in easier instalments, and if their verified claim is a little less than what is provided in these rules, even then, they should be given the opportunity to buy those houses or shops and be owners of them, so that they can be permanently settled in those areas. Unless you make such arrangements, unless you improve the rules and amend them substantially and unless the Government gives substantial amounts to augment the pool, we can do no justice so far as rehabilitation is concerned.

I shall conclude by referring to one more aspect only, and that is with regard to appendix VIII. If you take into consideration the rehabilitation element in it, we find that up to Rs. 30,000, they will get the rehabilitation grant of Rs. 2,780. This Rs. 2,780 is being given to a person who has a verified claim to the extent of Rs. 30,000, and he is going to get compensation to the extent of Rs. 6,000. A person having Rs. 1,000 as verified claim is getting only Rs. 235. So far as rehabilitation

amount is concerned, it must be more in the case of those people who are non-claimants or small claimants. But here we find that even those peasants who are given some *taccavi* loan of Rs. 500 or Rs. 600 on an average are not given this much of rehabilitation grant. If they are given this much of rehabilitation grant, they can at least make themselves free from the responsibilities of paying those *taccavi* loans. While they were first settled and allowed to go to those areas, they were given quite barren lands, sometimes in areas which were not canal-irrigated areas. They had to cultivate the lands with difficulty, and with the help of well-water only. At those places, you paid something like Rs. 500 by way of *taccavi* loan in order to enable them to have at least a pair of bullocks and some agricultural implements. These people are somehow making both ends meet. How can these people pay off those amounts? We are to take into consideration this aspect also. In the case of non-claimants and small claimants, particularly those people who have been settled in the rural areas, larger rehabilitation grants should be given, so that at least the amount of *taccavi* loans can be paid up. Or, if you waive this loan, then they can get some relief. But there can be no question of paying the price of the land. There should be no responsibility on them to pay the price of land in order to get permanent occupancy rights, because the right of getting occupancy tenancy is provided in the local Rajasthan Act. I would request the hon. Minister to consider the case in respect of other areas also where the people have been settling on the land. I have many other things to say, and I shall deal with them in connection with the amendments.

**श्री नन्दलाल शर्मा :**

यस्यङ्गिण रेणुवीजानि जनैश्चतानि मूर्धसु ।  
सद्यः सुरद्रुनायन्ते श्रीधरः सश्रियेऽनुतः ॥

विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में पुनर्वास और प्रतिकर दोनों प्रकार की विधि

स्वीकृत हुई। अब उनके नियमों का निर्णय करने के लिये आज हम लोग उपस्थित हुये हैं।

मैं इस बात का अच्छी तरह अनुभव है कि गवर्नमेंट ने कितना ट्रिमेंड्स कार्य किया है और अभी कितने और कार्य उसके सिर पर बाकी हैं और सरकारी रिपोर्ट्स में कई बार यह कहा जा चुका है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की समस्या अब समाप्त हो गई है और अब और कुछ करने को बाकी रहा नहीं, और अभी कल या परसों के पत्रों में हमने प्रधान मंत्री के पत्र-व्यवहार के संबंध में पढ़ा कि हमारे पुनर्वास मंत्री महोदय का यह विश्वास है कि इन नियमों के स्वीकृत हो जाने के बाद लगभग ८० प्रतिशत लोगों के भाग्य का निर्णय हो जाएगा और उनके पुनर्वास और प्रतिकर का पूर्ण विश्वास हम लोगों को होगा। ऐसा हमने समाचार पत्रों में देखा है।

**श्री मेहर चन्द खन्ना :** यह दुस्त नहीं है।

**श्री नन्द लाल शर्मा :** मेरा यह निवेदन है कि जो ८० प्रतिशत की आशा आज से कुछ दिन के बाद की जाने वाली है और जिस के बारे में आज से एक वर्ष पहले या आठ महीने पहले जब मंत्री महोदय ने यह कहा था कि अब पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों की समस्या समाप्त हो गई है उसमें उतना सत्य का अंश नहीं था। रही बात हमारे वर्तमान मंत्री महोदय के संबंध में। एक बात मैं कहना चाहता हूँ और वह बात शायद उनको कटु लगे, कड़वी बात थोड़ी सी दुखदायी होती है परन्तु होती है श्रीपति और वह यह है कि आज से कुछ दिन पहले बार बार विस्थापितों को दुख अनुभव करते थे और कहते थे कि अब जब वे अपने नेता के पास जाते थे उनको यह उत्तर मिलता था कि मेहर चन्द खन्ना मर गये, वह पेशावर और फंटियर वाले जो मेहर चन्द जी थे वह अब जीवित नहीं हैं। हम को आज एक बात से अवश्य ही शांति मिलती है कि कम से कम वही मेहर चन्द खन्ना पुनर्जीवित हो गये। मैं समझता हूँ कि तब भी नहीं मरे थे और अब भी नहीं मरे हैं।

[श्री नन्द लाल शर्मा]

उनका जो सामाजिक जीवन जनता के हित के लिये था और जनता उनसे जो आशा करती थी उस आशा को पूर्ण न कर सकने के कारण उस समय वह भर गये थे। आज जनता को पुनः यह आशा हुई है कि वे जीवित हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जूते पहनने वाले को ही यह अनुभव हो सकता है कि जूता कहां काटता है। आप दूसरे के दुःख को तभी अनुभव कर सकते हैं यदि आप उस दुःख में से गुज़रे हों। एक आदमी जिसे यह समस्या हल करनी है और इसे हल करने में एक आदमी जो इसे अपने हृदय से लगाकर हल करने में समर्थ हो सकता है वह दूसरा नहीं कर सकता। मैं इतनी बात कह कर उनके सहायक महोदय जो हैं उनके सम्मान को किसी प्रकार से भी कम नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने आई० एन० ए० में काम किया और यहां भी बहुत ही भ्रष्टा काम किया है।

विस्थापितों के कष्ट को अनुभव करते हुए भी यह जो आये के लिए हम नियम बना रहे हैं उन नियमों में जो त्रुटियां आने वाली हैं उनसे शरणार्थियों के भाग्य में और उलझनें बढ़ जायेंगी। और जो रूल्स अब बनाये जा रहे हैं उनसे और कठिनाइयां बढ़ जायेंगी।

इंद्रो मूलम् बिड़ौजा टीका

किसी लड़के ने वेद में पढ़ा इन्द्र और गुरु जी से जाकर पूछा कि गुरु जी यह इन्द्र क्या होता है। गुरु जी ने जवाब दिया कि बिड़ौजा। इन्द्र तो थोड़ा बहुत किसी की समझ में आता है लेकिन बिड़ौजा किसी की समझ में कैसे आये इसी तरह से आज जो रूल्स और रैगुलेशंस आप बनाने जा रहे हैं यह स्वयं डिस्प्लेस्ड पर्सन्स ऐक्ट की अपेक्षा अधिक भूल भुलैयां वाले हैं, इतने कमप्लिकेटेड हैं कि वे आम आदमियों की समझ में ही नहीं आ सकते। अब अगर इन रूल्स में कोई गड़बड़ी होगी तो जो ऐक्ट है वह केबल एक ऐक्ट के नाम मात्र ही रह जाएगा और उससे कोई लाभ नहीं होगा।

अब मैं दो एक बातें कहना चाहता हूँ कि जो रूल्स हैं वे एक तो पुनर्वास के हैं और दूसरे प्रतिकर के हैं। पुनर्वास के सम्बन्ध में पहला प्रश्न जो यह था कि उससे लोगों का पुनर्वास होगा मगर अब गवर्नमेंट स्वयं अनुभव करती है कि पुनर्वास नहीं हुआ। दूसरे अब सरकार की ओर से कुछ ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं कि जिन व्यक्तियों को बसाया जा चुका है उनको भी पुनः उजाड़ा जाए और उनको एक बार फिर विस्थापित बना दिया जाए। उनको उजाड़ कर उनके पुनर्वास का कोई प्रबन्ध होगा या नहीं होगा इसका कुछ पता नहीं। आपने हरिजनों की भलाई के लिए और दूसरी बातों के लिए १० वर्ष की अवधि संविधान में रख दी है लेकिन इन विस्थापितों के लिए कोई कैटेगरी नहीं है। ये लोग न तो शेड्यूल्ड कास्ट्स में आते हैं और न ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। इस वास्ते जिन को अब बसाया जा चुका है अगर उनको फिर से उजाड़ा गया और उनकी सम्पत्तियों को नीलाम करने की कोशिश की गई तो उनके पुनर्वास की समस्या आपके सिर पर फिर खड़ी हो जाएगी और वे लोग फिर से शरणार्थी हो जायेंगे। फिर हम यह नहीं कह सकेंगे कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों की समस्या प्रायः समाप्त सी हो गई है और *progress ad infinitum* हो जायगी अर्थात् अनवस्था दोषक्रान्त होगी और कुछ पता नहीं लगेगा कि कब बसाये जायेंगे।

दूसरी बात यह है कि कि लगभग ६७ लाख विस्थापितों में से लगभग ४२ लाख विस्थापित ऐसे हैं जिन के क्लेम्स का अभी तक कुछ पता नहीं है और न ही उन्होंने क्लेम दिये हैं। जब उन्होंने क्लेम नहीं दिये तो उनका पुनर्संस्थापन कैसे हो। उनके बारे में मैंने आपके भी रूल्स आ रहे हैं उनमें संशोधन भी उपस्थित किया है और उस समय उन के बारे में कहीं ग्रा लेकिन मेरा विषय निवेदन है कि उनका

भी ख्याल रखा जाए और उनको रिहैबिलिटेड करने के प्रश्न पर भी विचार किया जाए। जहां तक क्लेम देने का प्रश्न है उन में से कईपों ने तीन तीन और चार चार बार दिये भी हैं और जब उन्होंने पहले क्लेम दिया तब थोड़े दिनों के बाद यह कह दिया गया कि वे क्लेम अब रद्द ही गए हैं दूसरे क्लेम दायर करो। दुबारा उस में यह हुआ कि १०,००० के नीचे के क्लेम जो कि रूरल क्लेम थे वे भी माने नहीं जायेंगे इस का फल यह हुआ कि बहुत सारे लोग क्लेम ही नहीं दे सके।

ऐसे भी कई व्यक्ति हैं जो कि शेड्यूल्ड डेट के बाद भारत आए हैं और अभी तक भी आ रहे हैं और ये व्यक्ति उस जगह से आ रहे हैं जिस को ट्रांस फ्राण्टियर टैरिटरी कहा जाता है जो तीराह का प्रदेश है जिसको कि नोमैज लैंड कहते हैं। कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अब भी आ रहे हैं और उन को भी नान-क्लेमेंट्स की कैटेगरी में रखा जा रहा है।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने इस हाउस में कई बार इस बात का आग्रह किया है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनका भी खयाल रखा जाए। मेरा उनके साथ कोई विशेष सम्बन्ध है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिन को अपने विभाग से रिहायश के लिए गवर्नमेंट प्रापर्टी मिली हुई है यदि वह कल सर्बिस में न रहें और निकाल दिये जाएं या रिटायर हो जायें तो ऐसा होगा कि गवर्नमेंट क्वार्टर उनसे छिन्न जाएगा और वे फिर वैसे के वैसे रिफ्यूजी बन जायेंगे, डिसप्लेस्ड परसन बन जायेंगे। मैं निवेदन करता हूँ कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाए।

साथ ही साथ मैं इन कालोनीज के सम्बन्ध में चाहे आप तिलक नगर की कालोनी ले लीजिये या लाजपतनगर को ले लीजिये या कोई और कालोनी ले लीजिये। उनके अंदर न तो लाइट का प्रबन्ध है न पानी का प्रबन्ध है

और न ही वहां पर कोई सैनिटरी अरेंजमेंट है और न किसी प्रकार की नालियों का प्रबन्ध है जिन के कारण उनको बहुत कष्ट होता है। साथ ही उन मकानों की कीमत के बारे में भी जल्दी फैसला होना चाहिये। जब भी हम गवर्नमेंट से पूछते हैं तो हम को जवाब दिया जाता है कि prices are not, as yet, finalised. अभी तक उनको यह बताया नहीं गया है कि अन्तिम क्या प्राइस होगी और उनको क्या देना है। सरकार आज तक उनका मूल्य नहीं आंक सकी है हालांकि कितने ही वर्ष गुजर चुके हैं। इसके अलावा बार बार हम को विश्वास दिलाया जाता है कि किसी प्रकार से उसमें लाभ की भावना नहीं रखी जाएगी और केवल जितना खर्चा आया है उसी के अनुसार उसकी कीमत लगाई जाएगी। परन्तु अभी तक यह निश्चय नहीं हो सका कि कितनी कीमत बैठती है। इसके साथ ही कई जगह पर सरकार ने पांच पांच हज़ार के मकानों की कीमत सात सात हज़ार कर दी है और सात सात हज़ार वाले मकानों की कीमत साढ़े आठ आठ हज़ार कर दी है। कितनी ही प्रापर्टी को आकशन की कैटेगरी में ले लिया गया है और आकशन करते समय दुर्भाग्य से कुछ ऐसी बात हो जाती है कि जो क्लेमेंट्स हैं वह समझते हैं कि चलो हमारे क्लेम में से कुछ मिल जाएगा अगर हमने आकशन में हाइएस्ट बिड दे दिया। यह वह इसलिए करते हैं कि वे समझते हैं कि पता नहीं कब क्लेम मिले और कितनी रकम मिले। मियां की जूती मियां के सिर पड़ती है। मैंने देखा है कि जो मकान १६,५०० का है वह आकशन में ४७,००० में गया। राजेन्द्रनगर में एक मकान जिसका १६,५०० अनुमानित मूल्य था वह ४७,५०० रुपए में नीलाम हुआ और दूसरा मकान ३६,५०० रुपए में नीलाम हुआ। आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि इतनी भयंकर—इतनी एग्जाबिटन्ट—प्राइसेज देकर

[श्री नन्द लाल शर्मा]

रेफ्यूजी जीवित रहेगा या मरेगा। और उसको क्लेम क्या मिलने वाला है—प्रतिकर क्या मिलने वाला है, इसका कुछ निश्चय नहीं है। उसकी तो यह अवस्था है कि वहाँ शत्रु ने लूट लिया और यहाँ मित्र ने लूट लिया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए।

इसके बाद आता है इन्स्टालमेंट्स का प्रश्न। इन रूलज़ में जब संशोधन उपस्थित होंगे, उस समय मैं इस सम्बन्ध में विस्तार से निवेदन करूंगा, किन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि इन रूलज़ में चार वर्ष के इन्स्टालमेंट्स का सिद्धान्त रखा गया है। गंगानगर बौकानीर के रेवन्यू रिकार्डज़ से हमें पता चलता है कि जो लोग लैंड को बसाना चाहते हैं, उनसे रेवन्यू डिपार्टमेंट चौदह पन्द्रह इन्स्टालमेंट्स लेने के लिए तैयार है लेकिन रीहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट रेफ्यूजीज़ के पुनर्संस्थापन के लिए चार एनुअल इन्स्टालमेंट्स रखता है, जो कि रेवन्यू डिपार्टमेंट के साधारण पृथ्वी बसाने वालों के रेट से बहुत अधिक है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस और भी ध्यान दें।

मैं दो शब्द ग्रामीण विस्थापितों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। जब वह अरबन प्रापर्टी नागरिक सम्पत्ति—खरीदने लगा, तो उसकी प्रापर्टी की कीमत आधी कर दी। आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, तो पता चलेगा कि पहले ही नागरिक प्रापर्टी के मूल्यांकन में उसकी कीमत की उसी हिसाब से रैंशो लगाई गई है कि गांव में जो प्रापर्टी है, उसकी वैल्यू कम होगी। इस भाव से उसका कम मूल्य लगाया गया है और फिर यदि उसका मूल्य आधा कर के आधे से भी आधे—एक चौथाई—पर गिराया गया, तो उससे और हानि पहुँचेगी।

प्रतिकर के सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि कम्पेन्सेशन पूल मानो एक स्रोत बह

रहा है, जिसमें दो चश्मे आ कर मिलते हैं। एक तो इवैकुई प्रापर्टी में से चश्मा इसमें आकर मिलता है और दूसरा चश्मा है वह प्रापर्टी जो गवर्नमेंट ने बनाई। और गवर्नमेंट यह प्रापर्टी बनाने के बाद यह क्लेम करती है और यह विश्वास दिलाती है कि हमने रेफ्यूजीज़ के लिए कितना काम किया है, लकिन वस्तुतः जितनी प्रापर्टी उन्होंने बनाई है, वह प्रापर्टी आक्शन कर के, रेफ्यूजीज़ को बेच कर और अपने खर्च से भी कई गुना मूल्य पर बेच कर सरकार एक व्यापार कर रही है—वह पुनर्संस्थापन का कार्य नहीं कर रही है। इसलिए अगर सरकार को कुछ करना है, तो उसको अपनी ओर से अथवा टैक्स लगा कर अथवा किसी और प्रकार से उस पूल में कांट्रीब्यूट करना चाहिए।

अब यह बात तो निश्चित है कि हम को पाकिस्तान से कोड़ी भी मिलने वाली नहीं है। परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि एक बात का ध्यान अवश्य रखा जाय। मुझे याद है कि सितम्बर की २२ तारीख को सन् १९५३ में हमारे भूतपूर्व पुनर्वास मंत्री श्री जैन महोदय ने कहा था कि :

*So far as Government-built houses are concerned, they would be sold for a proper price to those living in those houses. फिर आगे चल कर कहा कि Government do not want to remove the displaced person from the house if he wanted to live in it.*

आज आप बार बार यह हल्ला सुन रहे हैं। मैंने यह भी सुना है कि हमारे मंत्री महोदय के द्वार पर जाकर लोगों ने अपना भाग्य रोया है कि जिन मकानों में हम लोग पड़े हुए हैं, वहाँ से हम को निकालने की चेष्टा न की जाये। उन मकानों के आक्शन को रोकने का प्रयत्न किया जाय और उन्हें राइट आफ प्रिएम्पशन—शुफ़ा का अधिकार—दिया जाय। केवल शरणार्थियों को उसमें बिड करने का अधिकार हो और विशेषकर जो लोग उन मकानों में इस



समय रह रहे हैं, पहले उनको खरीदने का अवसर और अधिकार दिया जाये। इसके साथ ही साथ जो रेड्स हैं, जो चार इन्स्टालमेंट्स रह चुके हैं, उनके स्थान पर कम से कम चौदह इन्स्टालमेंट्स रखी जायें।

इसके बाद मैं एक विशेष ध्यान देने योग्य विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह समस्या अभी थोड़े दिन से ही खड़ी हुई है।

**Mr. Chairman:** The hon. Member's time is up.

**Shri Nand Lal Sharma:** This is a very vital point.

**Mr. Chairman:** He can speak on his amendment.

**श्री नन्द लाल शर्मा :** I shall finish in one or two minutes.

वह है राजेन्द्रनगर की समस्या। कितने दिनों से वह समस्या मुलग रही थी। कभी आवाज उठती थी कि उस कालोनी के मकान गिरा दिए जायेंगे। यह बात सुन कर बेचारे विस्थापित, जो कि वहाँ रहते हैं, भागते हुए खन्ना साहब के द्वार पर पहुंचे और प्रार्थना की कि ऐसा न किया जाय। खन्ना साहब ने उन लोगों को विश्वास दिलाया कि हम नहीं गिराने देंगे। इस पर वे बेचारे कुछ शांत हुये। थोड़े ही दिनों के बाद फिर आवाज आती है कि वे मकान गिरा दिये जायेंगे। बेचारे विस्थापित फिर परेशान हो उठते हैं। यह हाउसिंग मिनिस्ट्री और रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री का टसल है—दो हाथी आपस में लड़ रहे हैं और कुचल जायेंगे बेचारे छोटें छोटें जीव।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि वह कम से कम विस्थापितों को विश्वास दिलायें कि उनको अपने मकानों से निकाला नहीं जायेगा और उस कालोनी की कुटियां गिराई नहीं जायेंगी। मैं यह भी बता दूँ कि जिस समय वे लोग वहाँ बसे थे, उस समय वह स्थान बिल्कुल एक जंगल के समान था। उनके वहाँ पर बसने

और रहने के बाद ही वह स्थान रहने के लायक बना। उनके ही कारण वह स्थान रहने के लायक बना और आज उनको इस बात का कोई विश्वास और निश्चय नहीं है कि वे वहाँ रह पायेंगे भी या नहीं।

इन निवेदनों के साथ मैं पुनर्संस्थापन मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि वह इन बातों का ध्यान रखें और इसके अनुसार जो जो भी संशोधन आपके इन रूलज में करने का प्रस्ताव किया गया है, उनको स्वीकार करने की चेष्टा करें।

**श्रीमती उमा नेहरू** (जिला सीतापुर व जिला खेरी-पश्चिम) : आज छठ साल से हम रीहैबिलिटेशन के काम में लगे हुए हैं और हमारे सामने जो प्रश्न है, वह इतना मुश्किल प्रश्न है कि उसका हल करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। जिस वक्त यह रीहैबिलिटेशन का काम शुरू हुआ, उस वक्त हम लोगों ने यह देखा कि पंजाब, सिंध और बंगाल, इन तीनों इलाकों से लोग उठ उठ कर हमारे प्रांतों में आये। इन लोगों की मुसीबत का बयान इस समय करना बेकार है, क्योंकि समय कम है। लेकिन मैं भूली नहीं हूँ कि जिस समय पार्टीशन हुआ, उस समय मैं शिमला और दिल्ली में थी। उस समय मैंने अपने आँखों से गरीबों को, अमीरों को, सबको, भिखमंगों की सूरत में देखा। मैंने उनको हाथों में रोटियां लेते हुए देखा। मैंने उन खानदानों को देखा कि केवल उनके बच्चे ही नहीं मरे थे, केवल उनकी स्त्रियां ही नहीं मरी थीं केवल स्त्रियां विषवायें ही नहीं हुई थीं, केवल बच्चे यतीम ही नहीं हुए थे, लेकिन बहुतों की स्त्रियां और बच्चे गायब हो गये जो आज तक नहीं मिले हैं। तो ऐसी हालत में ये दुखी लोग हमारे यहाँ आये। उस समय हमने और हमारी गवर्नमेंट ने उनको अपने कलेजे से लगाया। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उस समय का सारा इतिहास कहूँ। लेकिन यह जीता जागता इतिहास है जो कि छिपाया नहीं जा सकता। आज सारे

(श्रीमती उमा नेहरू)

भारत में हम उनकी मुरझाई हुई सुरतें देखते हैं। मैं इन रिफ्यूजीज की तारीफ भी बहुत करती हूँ। यह हिम्मत नहीं हारे। आज भी स्त्रियाँ मुझ से प्रयाग में कहती हैं कि हम परिश्रम करोगी और हम आपको विश्वास दिलाती हैं कि हम वापस लाहौर जायेंगी। उनकी यह हिम्मत देखकर हमारी भी हिम्मत बढ़ी। लेकिन जिन गरीबों को आज हम बसाने जा रहे हैं उनके बारे में क्या हमको कानून पर इतना जोर देना चाहिये? कानून वही अच्छा होता है जिसमें रोलकसेशन हो। किसी तरह का कानून उन पर लगावा कि वे फिर से बेघर हो जायं ठीक नहीं होगा। गवर्नमेंट ने उसके लिये जितनी मेहनत की है उसकी मैं तारीफ करती हूँ। मैंने वे टेनेमेंट देखे हैं जो कि इन के लिये बनाये गये हैं। मैंने देखा है कि एक एक कोठरी में एक खानदान रह रहा है। वे अब भी परेशानी की हालत में हैं।

इस वक्त मुझे इतना ही सरकार से कहना है, हम शुरू से यह कहते भी आये हैं कि हम यह बिल्कुल पसन्द नहीं करते कि इन गरीबों को दुकानों नीलाम हों या उनका मकान नीलाम हो। आज सवेरे मैंने कई अखबार देखे। उनमें बड़े बड़े हफ्तों में मैंने यह लिखा देखा कि जो बातें हम बराबर सरकार से कहते आ रहे हैं वे उनको गवर्नमेंट ने तसलीम कर लिया है। यह देख कर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं यहां बैठी यह सोच रही थी कि मिनिस्टर साहब शुरू में ही बतला देते कि यह चीज हमने मंजूर कर ली है। अगर ऐसा होता तो हमारा काम आसान हो जाता और समय भी नष्ट न होता। लेकिन डिमाक्रेसी का यह दस्तूर है कि इसमें देर लगना जरूरी है। जल्द तक समय खर्च न हो तब तक बात साफ नहीं होती है।

**श्री बी० जी० बेनसांडे (गुना) :** डिमाक्रेसी की बात नहीं है, कुछ देना नहीं चाहते।

**श्रीमती उमा नेहरू:** मुझे यकीन है कि मिनिस्टर साहब इन बातों को मंजूर कर लेंगे।

इससे मुझे खुशी है और मैं मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जो बात हम चाहते थे वह उन्होंने कर दी यानी दो हजार और पांच हजार के ही नहीं बल्कि दस हजार के भी मकान नीलाम न किये जायेंगे, दुकानें जायें, ऐसा न हो कि जिनको हमने बसाया है उनको फिर किसी दूसरी जगह बसाया जाये। यह देखकर खुशी हुई।

ज्यादा समय नहीं है, इसलिये मैं ज्यादा न कह कर केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तक हम में और हमारी सरकार में मिशनरी स्पिरिट नहीं होगी तब तक हम रिहैबिलिटेशन का काम नहीं कर सकेंगे। यह मुझे यकीन है। उसके साथ साथ, रिहैबिलिटेशन के क्या मानी होते हैं इसको भी हमें समझना है। हम तभी रिहैबिलिटेशन कर पायेंगे जब हम अपने रिफ्यूजी भाइयों की आर्थिक हालत को सुधार सकें। जिस वक्त इन रिफ्यूजीज की आर्थिक स्थिति हमारे समान हो जायेंगी और हम और वह एक ही नाव में चलने लगेंगे और हमारा रहना सहना और खाना पीना एक ही तरह का हो जायगा तभी हमारा रिहैबिलिटेशन का काम सफल होगा। मैं समझती हूँ कि इस काम में हमें एप्रोच होनी चाहिये। जब तक आपका ह्युमन एप्रोच नहीं होगा तब तक इन दुखियों की सही तस्वीर आपके सामने नहीं आ सकेगी। मैं सरकार से यह कहूँगी कि जहां तक हो इस बात का ख्याल रखे।

अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वह ५० हजार की सीलिंग की है। हमने अखबारों में देखा है कि उसको ५० हजार से दो लाख कर दिया गया है। इसके लिये तो मैं अपनी सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि अगर वह अपनी सैकिड फाइव इअर प्लान को कामयाब बनाना चाहती है तो रिफ्यूजी पूल के वास्ते कम से कम ५० करोड़ खपा दे। मैं जानती हूँ कि अगर

दूसरी फाइव इन्नर प्लान में इन रिफ्यूजीज़ को जी कि उजड़े हुए यहां भाये हैं बसा नहीं दिया गया तो आपकी वह स्कीम पूरी सफल भी नहीं होगी।

**Shri N. C. Chatterjee:** Shri Nand Lal Sharma has given us some mild shocks from time to time but the greatest shock we got was when he announced that he heard some time back that Shri Mehr Chand Khanna was dead. He was now discovered that he is living, and we know that he is kicking, but I only hope that he will never kick at the refugees.

Coming from Bengal which has suffered heavily—you and I both come from that province—from this tragedy of this unnatural partition of this country, our heart certainly goes out to the afflicted millions who have been unrooted and who are still suffering terribly as a result of this terrible aftermath.

Our time is short, and I want to emphasize four or five points which require serious consideration. The first point is that I am endorsing what the first speaker, Shri Gidwani, said today, that all this regulation and all this code of rehabilitation will be almost futile and useless unless the Government is prepared to augment the evacuee pool. That is the first demand, and that demand I hope will be unanimously endorsed by every party and every section of this House. We must all realise that this is not a problem of Punjab or the North-West Frontier province or of this part of India or that, but it is a national problem. I am sorry that today the House is so thin. Every Member ought to have been in his seat today especially when we are tackling such a problem which means that we are going to deal with the destiny of 66 lakhs or over 6 million people who have come from West Pakistan and if we can put this measure on a satisfactory basis, 44 lakhs of people who have been uprooted

from East Pakistan will also have some solace.

Two things I am first of all pleading for. I was to some extent perturbed when I found that a distinguished lady Member had tabled a motion that the ceiling should be fixed only at Rs. 50,000 and not at Rs. 2 lakhs as the hon. Minister has given in the schedule. You know, Sir, Schedule VIII gives the ceiling, and the highest is Rs. 5 lakhs. When the claim is for Rs. 5 lakhs or more, the maximum would be Rs. 2 lakhs. It is given at page 45.

**Pandit Thakur Das Bhargava:** Rs. 2 lakhs for Rs. 18 lakhs.

**Shri N. C. Chatterjee:** Rs. 2 lakhs for Rs. 18 lakhs, that is right. That is, when a person or a family has left property in Pakistan to the tune of Rs. 18 lakh, the maximum that he will get is Rs. 2 lakhs.

**Shri Mehr Chand Khanna:** Rs. 18 lakhs and above, maybe even a crore.

**Shri N. C. Chatterjee:** Maybe even a crore of rupees. Thank you. What I am pointing out is that it will be most unfair to say that it should be reduced to Rs. 50,000. I know that the socialistic pattern is very fashionable, but don't start socialisation at the cost of the poor, unfortunate, displaced refugees who have been the victims of India's independence. Firstly, it is unfair because if you give them Rs. 2 lakhs, it will raise the bid for a given property, and thereby it will increase the pool. A refugee can only bid up to the amount of compensation. He cannot go beyond that. If you give him even this nominal figure, then he can bid up to Rs. 2 lakhs. Otherwise, what will happen is non-displaced persons will come in if the limit is kept down at a very low figure, and in respect of any property over Rs. 50,000 the refugee will be completely out of the picture. That is, the displaced persons will be completely eliminated. They will have no chance. How can you expect a refugee who has been given

[Shri N. C. Chatterjee]

Rs. 50,000 to bid for a property of higher value? Supposing a property is valued at Rs. 60 or Rs. 70 thousand, how do you expect him to fork out the balance Rs. 10,000 or more?

**Mr. Chairman:** Would he like to continue tomorrow?

**Shri N. C. Chatterjee:** I would like to continue.

5 P.M.

**Mr. Chairman:** Before adjourning the House, I have an announcement to make. The list of motions re modification of the Displaced Persons Compensation and Rehabilitation Rules, 1955, which have now been indicated by Members to be moved, subject to their being otherwise admissible, will be circulated to Members tonight.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 13th September, 1955.*

---